अध्याय 10

कर चालान क्रेडिट और डेबिट नोट्स

इस अध्याय में उल्लिखित भाग संख्याएँ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 से संबंधित हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। अध्याय में दिए गए उदाहरण/चित्रण/प्रश्न एवं उत्तर 30.04.2025 की स्थिति के अनुसार मौजूदा जीएसटी कानून पर आधारित हैं।

अधिगम परिणाम

यह अध्याय आपको सक्षम बनाएगा कि आप -

- वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति और सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति के मामले में कर चालान से संबंधित प्रावधानों का वर्णन और विश्लेषण करना - समय सीमा और जारी करने की विधि सहित।
- कर चालान के विवरण/विशेषताएँ को सूचीबद्ध करना।
- ई-चालान से संबंधित प्रावधानों को समझना।
- संशोधित कर चालान, आपूर्ति बिल, रसीद वाउचर, रिफंड वाउचर, भुगतान वाउचर आदि से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करना।
- वे मामले पहचानना जहाँ कर चालान जारी करने की आवश्यकता नहीं है और उन कर योग्य सेवा आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना जिन्हें कर चालान के अलावा कोई अन्य दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति है।
- चालान जारी किए बिना वस्तुओं के परिवहन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करना।
- क्रेडिट और डेबिट नोट्स जारी करने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करना।
- अधिकार रहित कर वसूली पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करना।
- कर चालान और अन्य दस्तावेजों में सूचित किए जाने वाले कर की राशि से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करना।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अध्याय अवलोकन

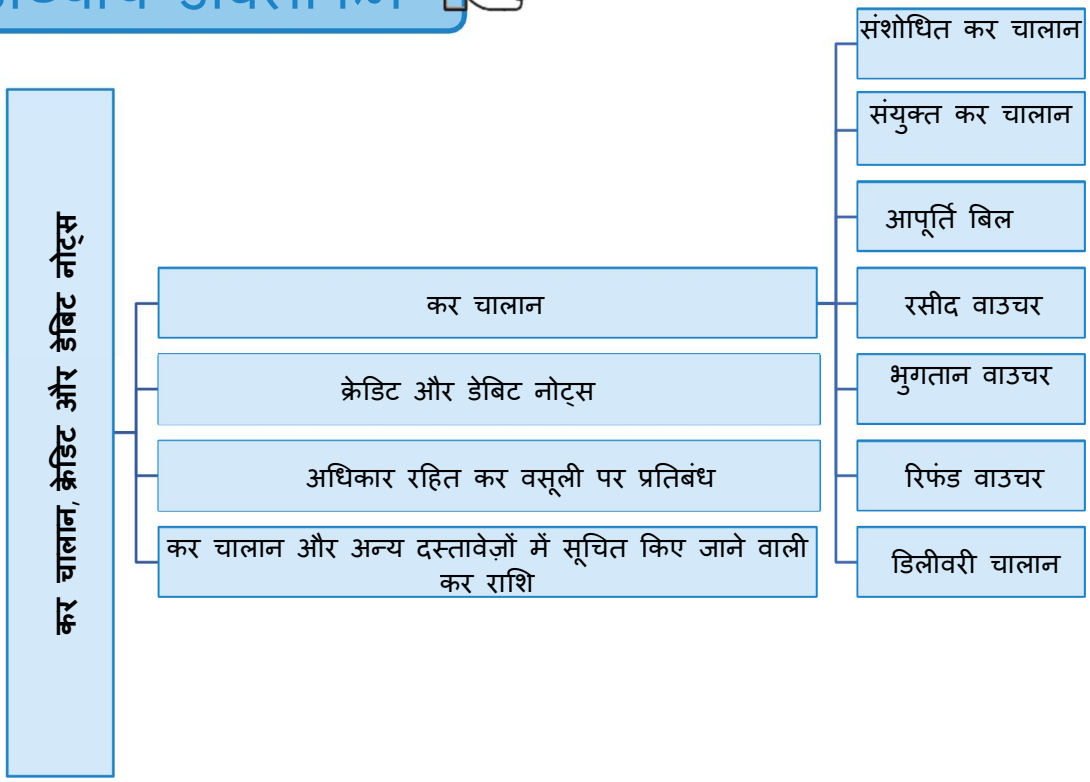

1. परिचय

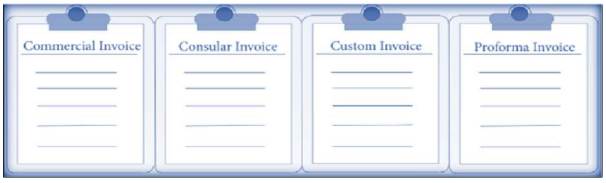

चालान एक व्यावसायिक दस्तावेज़ है जिसे वस्तु/सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को जारी किया जाता है। यह दोनों पक्षों की पहचान करता है और बेची गई वस्तुओं/ प्रदान की गई सेवाओं, का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें बेचे गए आइटमों की मात्रा, शिपमेंट की तिथि और परिवहन का माध्यम, मूल्य और छूट (यदि कोई हो), तथा वितरण और भुगतान की शर्तें (वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में) दर्शाई जाती हैं।

चालान जारी करना किसी भी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कर योग्य लेन-देन के लिए चालान जारी करना अनिवार्य है। वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की प्राप्ति के मामले में, उक्त वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान प्राप्तकर्ता को जारी किया जाता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

कर चालान एक ऐसा दस्तावेज़ है जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के मूल्य तथा उनके कर भाग का प्रमाण प्रस्तुत करता है। कुछ मामलों में, चालान भुगतान की मांग के रूप में कार्य करता है और पूर्ण भुगतान होने पर यह मालिकाना हक का दस्तावेज़ बन जाता है।

जीएसटी प्रणाली के तहत, "चालान" या "कर चालान" का अर्थ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 31 में उल्लिखित कर चालान है। यह भाग प्रत्येक वस्तु या सेवा की आपूर्ति के लिए चालान या आपूर्ति बिल जारी करने का प्रावधान करती है।

जीएसटी कानून के तहत, कर चालान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह न केवल वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है, बल्कि प्राप्तकर्ता के लिए आईटीसी प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक दस्तावेज़ है। पंजीकृत व्यक्ति कर चालान या डेबिट नोट के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता।

कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स से संबंधित प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय VII - कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट [भाग 31 से 34] और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियम, 2017 के अध्याय VI: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट [नियम 46 से 55ए] में निहित हैं। राज्यों के जीएसटी कानूनों में भी कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स के संबंध में समान प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स से संबंधित प्रावधानों को समझने से पहले, आइए सबसे पहले कुछ प्रासंगिक परिभाषाओं पर नज़र डालें।

सीजीएसटी अधिनियम के तहत कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स से संबंधित प्रावधानों को आईजीएसटी अधिनियम की भाग 20 के माध्यम से आईजीएसटी अधिनियम पर भी लागू किया गया है।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ

- **क्रेडिट नोट** : पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भाग 34 की उपभाग (1) के अंतर्गत जारी किया गया दस्तावेज़ [भाग 2(37)]।
- **डेबिट नोट** : पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भाग 34 की उपभाग (3) के अंतर्गत जारी किया गया दस्तावेज़ [भाग 2(38)]।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- **वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति** : का अर्थ है [भाग 2(32)]:

> ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति जिसे किसी अनुबंध के तहत लगातार या आवर्ती आधार पर प्रदान किया जाता है या प्रदान करने पर सहमति होती है, चाहे वह तार, केबल, पाइपलाइन या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हो या न हो, और जिसके लिए आपूर्तिकर्ता नियमित या आवधिक आधार पर प्राप्तकर्ता को चालान करता है। इसमें उन वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल है जिन्हें सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से और निर्धारित शर्तों के अधीन अधिसूचित कर सकती है।

- **सेवाओं की निरंतर आपूर्ति** : का अर्थ है [भाग 2(33)]:

> ऐसे सेवाओं की आपूर्ति जिसे किसी अनुबंध के तहत लगातार या आवर्ती आधार पर प्रदान किया जाता है या प्रदान करने पर सहमति होती है, जिसकी अवधि 3 महीने से अधिक होती है और जिसके लिए आवधिक भुगतान की जिम्मेदारियाँ होती हैं, तथा इसमें उन सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है जिन्हें सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से और निर्धारित शर्तों के अधीन अधिसूचित कर सकती है।

- **दस्तावेज़**: किसी भी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की भाग 2 के खंड (टी) में परिभाषित है [भाग 2(41)]।

- **मुक्त आपूर्ति**: किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की वह आपूर्ति जिस पर कर दर शून्य हो या जो भाग 11 के तहत पूरी तरह से करमुक्त हो, या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 6 के तहत करमुक्त हो, और इसमें अकर योग्य आपूर्ति भी शामिल है [भाग 2(47)]।

- **चालान या कर चालान**: वह कर चालान जिसे भाग 31 में संदर्भित किया गया है (जिस पर बाद में चर्चा की गई) [भाग 2(66)]।

- **त्रैमासिक**: वह अवधि जिसे तीन लगातार कैलेंडर महीनों से मिलकर बनाया गया हो, जो कैलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन समाप्त होती है [भाग 2(92)]।

- **रिटर्न**: कोई भी रिटर्न जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित या अन्यथा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो [भाग 2(97)]।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

3. कर चालान [भाग 31]

वैधानिक प्रावधान

भाग 31	कर चालान
उप-भाग	विशेषताएँ
(1)	कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, निम्नलिखित समय से पहले या उसी समय पर,– (क) यदि आपूर्ति में वस्तुओं का परिवहन शामिल है, तो प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए वस्तुओं के हटाए जाने से पहले या उसी समय पर; (ख) किसी अन्य मामले में, वस्तुओं की वितरण या उन्हें प्राप्तकर्ता के लिए उपलब्ध कराने से पहले या उसी समय पर। वह कर चालान जारी करेगा जिसमें वस्तुओं का विवरण, मात्रा और मूल्य, उन पर लगने वाला कर तथा ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया हो, दर्शाया जाएगा। परंतु यह प्रावधान किया गया है कि सरकार, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे वस्तुओं या आपूर्तियों की श्रेणियाँ निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके संबंध में कर चालान ऐसे समय और ऐसी विधि में जारी किया जाएगा जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया हो।
(2)	कर योग्य सेवाएँ प्रदान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, सेवा प्रदान करने से पूर्व या बाद में, परंतु विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, कर चालान जारी करेगा जिसमें सेवाओं का विवरण, मूल्य, उस पर लगाया गया कर तथा ऐसे अन्य विवरण होंगे जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया हो। परंतु यह उपबंधित है कि सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, अधिसूचना द्वारा – (क) सेवाओं अथवा आपूर्तियों की उन श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में कर चालान ऐसे समयावधि के भीतर तथा ऐसे प्रकार से जारी किया जाएगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सकता है; (ख) उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन, उन सेवाओं की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में – (i) आपूर्ति के संबंध में जारी कोई अन्य दस्तावेज़ कर चालान माना जाएगा; या (ii) कर चालान जारी न किया जाए।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(3)	*उपभाग (1) और (2) में निहित किसी बात के बावजूद-* *(क) एक पंजीकृत व्यक्ति, पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गमन की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर तथा इस प्रकार से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो, अपने पंजीकरण की प्रभावी तिथि से लेकर पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गमन की तिथि तक की अवधि के दौरान पहले से जारी चालान के विरुद्ध एक संशोधित चालान जारी कर सकता है;* *(ख) यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का मूल्य दो सौ रुपये से कम है, तो पंजीकृत व्यक्ति, विनिर्दिष्ट शर्तों तथा विधि के अनुसार, कर चालान जारी नहीं करेगा;* *(ग) जो पंजीकृत व्यक्ति मुक्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है अथवा भाग 10 के उपबंधों के अंतर्गत कर का भुगतान करता है, वह कर चालान के स्थान पर आपूर्ति बिल जारी करेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट विवरण तथा विधि अनुसार विवरण होगा:* *परंतु यह कि, यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का मूल्य दो सौ रुपये से कम है, तो पंजीकृत व्यक्ति, विनिर्दिष्ट शर्तों तथा विधि के अनुसार, आपूर्ति बिल जारी नहीं करेगा;;* *(घ) किसी आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, पंजीकृत व्यक्ति, विनिर्दिष्ट विवरणों वाला एक रसीद वाउचर अथवा अन्य कोई दस्तावेज़ जारी करेगा, जो उक्त भुगतान की प्राप्ति का प्रमाण होगा;* *(ङ) यदि किसी आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, पंजीकृत व्यक्ति ने रसीद वाउचर जारी किया हो, परंतु तत्पश्चात कोई आपूर्ति नहीं की गई हो और उसके संबंध में कोई कर चालान जारी नहीं किया गया हो, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति भुगतान करने वाले व्यक्ति को उस भुगतान के विरुद्ध एक रिफंड वाउचर जारी कर सकता है;* *(च) वह पंजीकृत व्यक्ति जो भाग 9 की उपभाग (3) या उपभाग (4) के **अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए** उत्तरदायी है, उसे, प्राप्ति की तिथि पर आपूर्ति करने वाला व्यक्ति अपंजीकृत होने की स्थिति में, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के संबंध में, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक चालान जारी करना होगा।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

	(छ) जो पंजीकृत व्यक्ति भाग 9 की उपभाग (3) या उपभाग (4) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय एक भुगतान वाउचर जारी करेगा। ***स्पष्टीकरण – खंड (फ) के प्रयोजनों के लिए, "अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता" का अर्थ उस आपूर्तिकर्ता से भी होगा जो केवल भाग 51 के अंतर्गत कर की कटौती करने के उद्देश्य से पंजीकृत है।***
(4)	*वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में, जहाँ लगातार खाता विवरण या लगातार भुगतान शामिल हैं, चालान प्रत्येक विवरण जारी किए जाने से पहले या उसी समय, अथवा प्रत्येक भुगतान प्राप्त होने पर, जैसा लागू हो, जारी किया जाएगा।*
(5)	*उपभाग (3) के खंड (द) के प्रावधानों के अधीन, सेवाओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में–* *(क) यदि भुगतान की देय तिथि अनुबंध से निश्चित की जा सकती है, तो चालान भुगतान की देय तिथि पर या उससे पहले जारी किया जाएगा;* *(ख) यदि भुगतान की देय तिथि अनुबंध से निश्चित नहीं की जा सकती, तो चालान सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त होने से पहले या उसी समय जारी किया जाएगा;* *(ग) यदि भुगतान किसी घटना की पूर्णता से जुड़ा है, तो चालान उस घटना की पूर्णता की तिथि पर या उससे पहले जारी किया जाएगा।*
(6)	*ऐसे मामले में, जहाँ किसी अनुबंध के तहत सेवाओं की आपूर्ति पूरी होने से पहले बंद हो जाती है, चालान आपूर्ति बंद होने के समय जारी किया जाएगा और यह चालान उस आपूर्ति तक सीमित होगा जो बंद होने से पहले की गई थी।*
(7)	*उपभाग (1) में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, यदि वस्तुओं को बिक्री या वापसी के अनुमोदन पर भेजा या लिया जा रहा है और आपूर्ति होने से पहले उन्हें हटा दिया जाता है, तो चालान आपूर्ति के समय या उससे पहले, या हटाए जाने की तिथि से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, जारी किया जाएगा।*
स्पष्टीकरण – इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "कर चालान" में उस आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधित चालान भी शामिल होगा।	

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

भाग 31ए	प्राप्तकर्ता को डिजिटल भुगतान की सुविधा
	सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी निर्धारित कर सकती है जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके उपलब्ध कराएँ और ऐसे प्राप्तकर्ता को इसके अनुसार भुगतान करने का विकल्प दें, यह प्रक्रिया विनिर्दिष्ट विधि, शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगी।

विश्लेषण

कर चालान से संबंधित प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम की भाग 31 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियम, 2017 के अध्याय VI: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट में प्रदान किए गए हैं। इन नियमों में निहित प्रावधानों को संबंधित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। कर चालान के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। केवल कुछ विशेष क्षेत्रों को अनिवार्य के रूप में निर्धारित किया गया है।

क. कर चालान जो कर योग्य वस्तुओं/कर योग्य सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाता है

कर चालान उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा जो कर योग्य वस्तुएँ, कर योग्य सेवाएँ या दोनों की आपूर्ति करता है। ऐसा कर चालान विनिर्दिष्ट विवरण प्रदर्शित करेगा।

(i) चालान जारी करने की समय सीमा [भाग 31(1), (2), (4) & (5) के साथ नियम 47 के संदर्भ में]

इनवॉइस जारी करने का समय आपूर्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगा, अर्थात यह वस्तुओं की आपूर्ति है या सेवाओं की आपूर्ति।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, चालान उस समय जारी करेगा जब वस्तुएँ हटाई जा रही हों (यदि आपूर्ति में वस्तुओं का परिवहन शामिल हो) या अन्य किसी मामले में, वस्तुओं की डिलीवरी या उन्हें प्राप्तकर्ता के लिए उपलब्ध कराने से पहले या उसी समय।

कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, चालान सेवा प्रदान करने से पहले या बाद में जारी किया जा सकता है, परंतु विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होना चाहिए.

सरकार उन सेवाओं की श्रेणियों को अधिसूचित कर सकती है जिनके संबंध में आपूर्ति के लिए जारी कोई अन्य दस्तावेज़ कर चालान माना जाएगा या जहाँ कर चालान जारी नहीं किया जाएगा।

सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा उन वस्तुओं या सेवाओं/आपूर्तियों की श्रेणियाँ निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में कर चालान जारी किया जाएगा, वह भी विनिर्दिष्ट समय और विधि के अनुसार।

कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में	कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामले में
चालान निम्नलिखित समय से पहले या उसी समय पर जारी किया जाएगा–	सेवा प्रदान करने से पहले या बाद में चालान जारी किया जा सकता है, परंतु सेवा की आपूर्ति की तिथि से **30 दिनों*** की अवधि के भीतर। *बीमाकर्ता, बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) शामिल है, के मामले में चालान **45 दिनों** के भीतर जारी किया जाएगा।
(क) यदि आपूर्ति में वस्तुओं का परिवहन शामिल है, तो प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए वस्तुओं के हटाए जाने से पहले या उसी समय;	

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

<table>
<tr>
<td>(ख) किसी अन्य मामले में, वस्तुओं की डिलीवरी या उन्हें प्राप्तकर्ता के लिए उपलब्ध कराने से पहले या उसी समय।</td>
<td colspan="2">कोई बीमाकर्ता, बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसमें एनबीएफसी शामिल है, या कोई दूरसंचार ऑपरेटर, या कोई अन्य सेवा आपूर्तिकर्ता की श्रेणी जिसे सरकार अधिसूचित कर सकती है, जो भाग 25 में निर्दिष्ट अलग-अलग व्यक्तियों के बीच कर योग्य सेवाएँ प्रदान करता है।
↓ चालान जारी कर सकता है
ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा इसे अपने खातों में रिकॉर्ड करने से पहले या उसी समय, या उस त्रैमासिक अवधि के समाप्त होने से पहले जिसमें आपूर्ति की गई थी।</td>
</tr>
<tr>
<td>वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति</td>
<td colspan="2">सेवाओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">जहाँ लगातार खाता विवरण या लगातार भुगतान शामिल हों, चालान प्रत्येक विवरण जारी किए जाने से पहले या उसी समय, अथवा प्रत्येक भुगतान प्राप्त होने पर, जैसा लागू हो, जारी किया जाएगा।</td>
<td>जहाँ</td>
<td>चालान जारी किया जाएगा</td>
</tr>
<tr>
<td>(क) यदि भुगतान की देय तिथि अनुबंध से निर्धारित की जा सकती है</td>
<td>भुगतान की देय तिथि पर या उससे पहले</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) यदि भुगतान की देय तिथि अनुबंध से निर्धारित नहीं की जा सकती</td>
<td>सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त होने से पहले या उसी समय</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) यदि भुगतान किसी घटना की पूर्णता से जुड़ा हो</td>
<td>उस घटना की पूर्णता की तिथि पर या उससे पहले</td>
</tr>
</table>

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(1) रितु निर्माता, दिल्ली ने प्रखर इलेक्ट्रॉनिक्स, हरियाणा को वस्तुएँ आपूर्ति कीं। वस्तुएँ 23 सितंबर को दिल्ली के कारखाने से हटाई गईं। इस आपूर्ति के लिए रितु निर्माता को कर चालान 23 सितंबर या उससे पहले जारी करना होगा।

(2) कात्यानी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड. ने रॉयल ज्वैलर्स को उनके 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले आभूषण प्रदर्शन के लिए सुरक्षा सेवाएँ प्रदान कीं। इस आपूर्ति के लिए कात्यानी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड. को कर चालान सेवा की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, अर्थात् 4 नवंबर या उससे पहले जारी करना होगा।

(ii) जहाँ किसी सेवा की आपूर्ति पूरी होने से पहले ही समाप्त हो जाती है [भाग 31(6)]

ऐसे मामले में, जहाँ किसी अनुबंध के तहत सेवा की आपूर्ति पूरी होने से पहले बंद हो जाती है, चालान उस समय जारी किया जाएगा जब आपूर्ति बंद होती है, और यह चालान उस आपूर्ति तक सीमित होगा जो बंद होने से पहले की गई थी।

(iii) वस्तुओं को बिक्री या वापसी के आधार पर भेजना [भाग 31(7)]

यदि वस्तियाँ बिक्री या वापसी के अनुमोदन पर भेजी या ली जा रही हों और आपूर्ति होने से पहले हटाई जाएँ, तो चालान निम्नलिखित समय पर जारी किया जाएगा:

(i) आपूर्ति के समय से पहले या उसी समय

या

(ii) हटाए जाने की तिथि से 6 महीने के भीतर,

जो भी पहले हो ।

(iv) कर चालान के विवरण [भाग 31(1) & (2) के साथ नियम 46 के संदर्भ में]

जैसा कि पहले चर्चा की गई, चालान के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, लेकिन नियमों के अनुसार चालान में निम्नलिखित क्षेत्रों का होना अनिवार्य है (केवल लागू होने वाले क्षेत्र भरे जाएंगे):

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

<table>
<tr><td colspan="2">आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन ;</td></tr>
<tr><td colspan="2">एक लगातार क्रमांक जो 16 अक्षरों/अंकों से अधिक न हो, एक या कई श्रृंखलाओं में, जिसमें अक्षर/अंक/विशेष अक्षर (हाइफ़न, डैश, स्लैश) या इनका कोई भी संयोजन हो, और जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हो।</td></tr>
<tr><td colspan="2">जारी करने की तिथि;</td></tr>
<tr><td colspan="2">यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है - प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन</td></tr>
<tr><td>यदि प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है और आपूर्ति का मूल्य</td><td>चालान के विवरण</td></tr>
<tr><td>₹50,000 या उससे अधिक</td><td>प्राप्तकर्ता का नाम और पता तथा वितरण का पता, साथ ही राज्य का नाम और उसका कोड</td></tr>
<tr><td>₹50,000 से कम</td><td>अपंजीकृत प्राप्तकर्ता फिर भी उक्त विवरणों को कर चालान में दर्ज करने का अनुरोध कर सकता है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के मामलों में, या जहाँ कोई कर योग्य सेवा ईसीओ के माध्यम से या द्वारा अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाती है, ऐसे आपूर्ति के मूल्य की परवाह किए बिना, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर चालान में प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम शामिल होगा और इसे प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर पता माना जाएगा।[1]</td></tr>
<tr><td colspan="2">वस्तुओं या सेवाओं के लिए एचएसएन कोड;</td></tr>
<tr><td colspan="2">वस्तुओं या सेवाओं का विवरण;</td></tr>
</table>

[1] यह प्रावधान उन मामलों में भी लागू होता है जहाँ कोई कर योग्य सेवा ओआईडीएआर सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाती है। हालाँकि, ओआईडीएआर सेवाओं से संबंधित प्रावधान अंतिम स्तर में चर्चा किए गए हैं।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

वस्तुओं के मामले में मात्रा और उसकी इकाई या अद्वितीय मात्रा कोड
वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कुल आपूर्ति मूल्य;
वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, जिसमें किसी भी प्रकार की छूट या कटौती, यदि लागू हो, को ध्यान में रखा गया हो;
कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, समेकित कर, संघ शासी क्षेत्र कर या सेस);
कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं पर लगने वाले कर की राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, समेकित कर, संघ शासी क्षेत्र कर या सेस);
आपूर्ति का स्थान और राज्य का नाम, यदि आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हो;
वितरण का पता , यदि यह आपूर्ति के स्थान से अलग हो;
क्या कर रिवर्स चार्ज आधार पर देय है; और
आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर (यदि इलेक्ट्रॉनिक चालान आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है, तो आवश्यक नहीं)।
क्विक रिस्पांस कोड, जिसमें एम्बेडेड चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन) हो, यदि ई-चालान जारी किया गया हो [2]।

ध्यान दें: जिन करदाताओं को अनिवार्य ई-चालान की आवश्यकता से मुक्त किया गया है (जैसा कि आगे चर्चा की गई है), उन्हें कर चालान पर यह घोषणा देनी आवश्यक है कि उनकी कुल कारोबार सीमा ई-चालान के लिए अधिसूचित सीमा से अधिक होने के बावजूद, उन्हें ई-चालान तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

---

2 नियम *48(4)* के तहत निर्दिष्ट तरीके से

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(v) कर चालान पर आवश्यक एचएसएन अंकों की संख्या और वह पंजीकृत व्यक्ति का वर्ग जिसे एचएसएन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है [नियम 46]

संसदीय परिषद् की सिफारिश पर, बोर्ड अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है:

(i) उस वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए वस्तुओं या सेवाओं के हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नामकरण (एचएसएन) कोड के अंकों की संख्या, जिसे उन्हें उल्लेख करना आवश्यक होगा; या

(ii) उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी, जिसके लिए सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा एचएसएन कोड के निर्दिष्ट अंकों का उल्लेख करना आवश्यक होगा; और

(iii) वह पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं के लिए एचएसएन कोड का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह प्रावधान बिल ऑफ सप्लाई पर भी लागू होता है [बिल ऑफ सप्लाई की अवधारणा आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है]।

उपरोक्त अधिकारों के संदर्भ में, अधिसूचना संख्या 12/2017 सीटी दिनांक 28.06.2017 (संशोधित) के माध्यम से निम्नलिखित अधिसूचित किया गया है:

क्रमांक	पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या
1.	एटी ≤ ₹5 करोड़	बी2बी आपूर्ति के लिए - 4 बी2सी आपूर्ति के लिए - 4 (वैकल्पिक)*
2.	एटी > ₹5 करोड़	बी2बी आपूर्ति और बी2सी आपूर्ति के लिए - 6

**जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹5 करोड़ तक वाले पंजीकृत व्यक्ति को उक्त नियमों के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति के संबंध में जारी किए गए कर चालान में एचएसएन कोड का उल्लेख करने की आवश्यकता से मुक्त किया गया है।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(vi) चालान जारी करने का तरीका [भाग 31(1) & (2) के साथ नियम 48 के संदर्भ में]

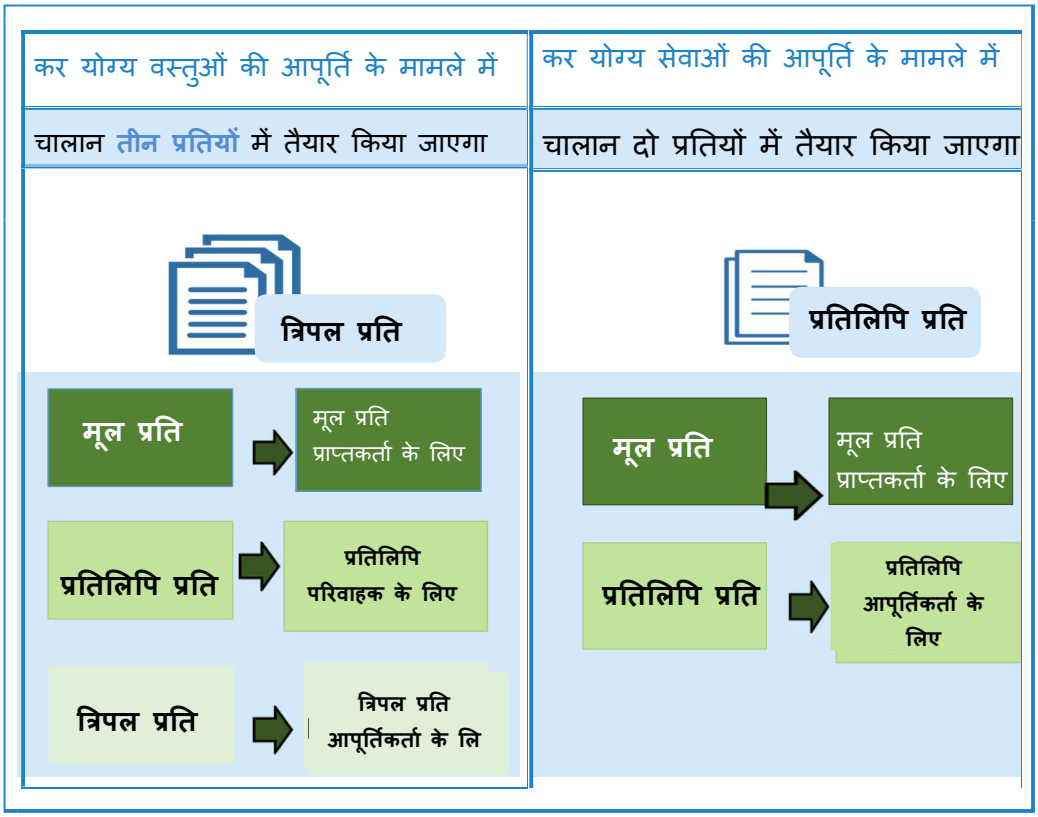

कर अवधि के दौरान जारी चालानों का क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक रूप से [सामान्य पोर्टल - www.gst.gov.in के माध्यम से] फॉर्म जीएसटीआर-1 [वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण] या जीएसटीआर-1ए में प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त चर्चा के मुख्य बिंदु निम्नानुसार संक्षेपित किए गए हैं:

1. सभी जीएसटी करदाताओं को अपना स्वयं का कर चालान प्रारूप तैयार करने की स्वतंत्रता है।
2. कानून के अनुसार कर चालान में केवल कुछ विशेष क्षेत्रों को अनिवार्य के रूप में भरना आवश्यक है। इन्हें ऊपर शीर्षक (iv) के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित नमूना कर चालान में भी अनिवार्य क्षेत्रों को घेरा गया है।
3. चालान जारी करने की समयावधि वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग है। वस्तुओं के लिए यह उनके वितरण से पहले या उसी समय कोई भी समय हो सकता है, जबकि सेवाओं के लिए यह सेवाओं की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर होना चाहिए।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

नमूना कर चालान

ABC Enterprises Pvt. Ltd.

GSTIN 22AAAAA0000A1Z5
Branch Karnatka (22)
PAN AAAAA0000A

Total ₹ 6500.00

Invoice Date 10/05/2017
Invoice No. CLR-00054
Reference No. PO-9987

TAX INVOICE

Customer Name
Kantech Solutions Private Ltd.

Customer GSTIN
22BBBBB0007A1Z5

Billing Address
Kantech Solutions Private Ltd.
Ground Floor, Building 2A, 23 & 24
AMR Tech Park Internal Road
Hongasandra, Bengaluru
Karnatka 560068

Shipping Address
Kantech Solutions Private Ltd.
Ground Floor, Building 2A, 23 & 24
AMR Tech Park Internal Road
Hongasandra, Bengaluru
Karnatka 560068

Payment Terms Net 15 Due Date 19/06/2016 Place of Supply **Karnataka (22)**

	Item	HSN	Qty.	Rate/ Item(₹)	Discount/ Item(₹)	Taxable Value(₹)	SGST ₹	CGST ₹	CESS ₹	Total ₹
1.	Himalaya Herbal Cream Neem Edition	440003	10 kg	1000.00	30.00	9700.00	970.00 @10%	970.00 @10%	00.00 @0%	11640.00
2.	Himalaya Herbal Cream Neem Edition	440003	10 kg	1000.00	30.00	9700.00	970.00 @10%	970.00 @10%	00.00 @0%	11640.00
3.	Himalaya Herbal Cream Neem Edition	440003	10 kg	1000.00	30.00	9700.00	970.00 @10%	970.00 @10%	00.00 @0%	11640.00
4.	Frieght Charges	–	1 no	1000.00	–	1000.00	50.00 @5%	50.00 @5%	00.00 @0%	1100.00
				Total (₹)		30100.00	2960.00	2960.00	00.00	36020.00

Taxable amount	₹ 30100.00
Total Tax*	₹ 5920.00
Invoice Total	₹ 36020.00
Invoice Total (In words)	Thirty Six Thousand Twenty Only

*Tax to be paid on Reverse Charge

Notes
All payments to be made in cash.
Contact us for queries on these quotations.

DUPLICATE
For Transporter

for ABC Enterprises Pvt. Ltd.
(Signature)

Thank you for your business.

Powered by clearTax

ABC Enterprises Pvt. Ltd., Ground Floor, Building 2A, 23 & 24, AMR Tech Park Internal Road, Hongasandra, Bengaluru, Karnatka 560068
+91-9876543210, +91-9876543210, contact@abcenterprises.in

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ई-चालान

'ई-चालान' को कुछ अधिसूचित करदाताओं के लिए व्यापार से व्यापार (बी2बी) चालानों की जीएसटी प्रणाली में रिपोर्टिंग के उद्देश्य से लागू किया गया है।

सभी पंजीकृत व्यवसाय जिनका किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे कुल कारोबार (पैन के आधार पर) ₹5 करोड़ से अधिक हो (इन्हें आगे 'अधिसूचित व्यक्ति' कहा गया है), उन्हें ई-चालान जारी करना आवश्यक होगा। ई-चालान स्वैच्छिक नहीं है; केवल अधिसूचित व्यक्ति ही आईआरपी (चालान पंजीकरण पोर्टल) पर चालान रिपोर्ट करने में सक्षम हैं।

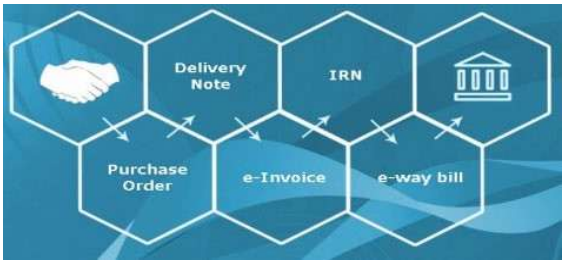

आगे बढ़ने से पहले, पहले समझते हैं कि 'ई-चालान' क्या है। ई-चालान का अर्थ यह नहीं है कि चालान सरकार के पोर्टल द्वारा बनाया जाता है। करदाता अपनी जीएसटी चालान अपनी स्वयं की अकाउंटिंग/बिलिंग/ईआरपी सिस्टम पर ई-चालान योजना के अनुसार बनाना जारी रखेंगे। इन चालानों को फिर आईआरपी (चालान पंजीकरण पोर्टल) पर रिपोर्ट किया जाएगा। इस रिपोर्टिंग के आधार पर, आईआरपी एक अद्वितीय 'चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन)' उत्पन्न करेगा, इसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करेगा और ई-चालान को आपूर्तिकर्ता को वापस करेगा। एक जीएसटी ई-चालान केवल तभी वैध होगा जब उसके पास वैध आईआरएन हो। वर्तमान में, जब अधिसूचित व्यक्ति (निवेशित व्यक्ति (बी2बी) को या निर्यात के उद्देश्य के लिए) चालान, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी करते हैं, तो उन्हें ई-चालान के अंतर्गत शामिल किया गया है। यद्यपि विभिन्न दस्तावेज शामिल हैं, समझ और संदर्भ की सुविधा के लिए इस प्रणाली को 'ई-चालान' कहा जाता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ई-चालान के लाभ

ई-चालान व्यवसायों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। इनमें से एक लाभ यह है कि चालान का स्वचालित रूप से जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट होना और आवश्यक होने पर ई-वे बिल[3] का स्वतः निर्माण। ई-चालान के तहत, व्यवसाय को केवल एक बार बी2बी चालान डेटा ई-चालान फॉर्म में रिपोर्ट करना होता है और वही डेटा कई फॉर्मों (जैसे जीएसटीआर-1, ई-वे बिल आदि) में स्वतः रिपोर्ट हो जाता है। ई-वे बिल ई-चालान डेटा का उपयोग करके स्वतः उत्पन्न किया जा सकता है। जीएसटीआर-1 भी ई-चालान डेटा से स्वतः भरा जा सकता है। यह करदाता की व्यवसायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा।

नतीजतन, प्रतिलिपि त्रुटियों में पर्याप्त कमी आएगी क्योंकि वही डेटा कर विभाग और खरीदार दोनों को रिपोर्ट किया जाएगा, ताकि वह अपनी इनवर्ड सप्लाइज (खरीद) रजिस्टर तैयार कर सके। जीएसटी सिस्टम के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर, खरीदार इसे अपने पर्चेज ऑर्डर के साथ मेल खा सकता है।

इस प्रकार, यह मानकीकरण और अंतः-संचालन को सक्षम करेगा, जिससे लेन-देन करने वाले पक्षों के बीच विवादों में कमी आएगी, भुगतान चक्र में सुधार होगा, प्रोसेसिंग लागत घटेगी और इस प्रकार समग्र व्यावसायिक दक्षता में काफी सुधार होगा। इसके अलावा, चूंकि विभाग के पास बी2बी चालानों का पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, यह इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स के सिस्टम-स्तरीय मिलान को सक्षम करेगा, जिससे कर चोरी में कमी आएगी।

अंततः, ई-चालान नकली चालानों को समाप्त कर देगा। नकली चालान जारी करके काल्पनिक आईटीसी का दावा करना वर्तमान में कर प्राधिकरणों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ई-चालान प्रणाली अनैतिक करदाताओं की गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी और धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घटाएगी, क्योंकि कर प्राधिकरणों को डेटा रियल-टाइम में उपलब्ध होगा।

---

3 ई-वे बिल से संबंधित प्रावधानों पर इस अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय *12:* ई-वे बिल में चर्चा की गई है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ई-बीजक संबंधी वैधानिक प्रावधान

नियम 48(4) के अनुसार अधिसूचित श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा, फॉर्म जी.एस.टी. इन्व.-01 में निहित विवरणों को सामान्य जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपलोड करके, निर्धारित प्रकार से तथा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, ई-बीजक तैयार किया जाएगा और बीजक संदर्भ संख्या (आई.आर.एन.) प्राप्त की जाएगी।

तथापि, आयुक्त, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, नियम 48(4) के अंतर्गत ई-बीजक जारी करने से, निर्दिष्ट अवधि के लिए तथा उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, छूट प्रदान कर सकता है।

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से जारी किया गया प्रत्येक बीजक, जो नियम 48(4) में निर्दिष्ट प्रकार के अतिरिक्त हो, उसे बीजक नहीं माना जाएगा। जहाँ ई-बीजक लागू है, वहाँ बीजक की प्रतियाँ तिगुनी/दुगुनी रूप में जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

ई-बीजक अनिवार्य रूप से जारी करने हेतु अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग:

उक्त अधिकारों के मद्देनजर, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति (निर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों[5] को छोड़कर), जिसका किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 2017-18 से शुरू होने वाले वर्षों में कुल कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है, ई-बीजक तैयार करने के लिए अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बी2बी आपूर्ति (पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति) और निर्यात के लिए लागू है। इस प्रकार, वर्तमान में ऐसे अधिसूचित व्यक्तियों को आई.आर.पी. पर बी2सी बीजक बीजक रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

---

[4] *ई-चालान तैयार करने के उद्देश्य से दस समर्पित चालान संदर्भ पोर्टल्स को सामान्य वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये पोर्टल्स निम्नलिखित परिच्छेदों में सूचीबद्ध हैं।*

[5] *विशेष आर्थिक क्षेत्र और बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान जिसमें एन.बी.एफ.सी. शामिल है, जी.टी.ए., यात्री परिवहन सेवा का आपूर्तिकर्ता, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों की प्रदर्शनी के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति, एक सरकारी विभाग और एक स्थानीय प्राधिकरण।*

[6] *अधिसूचना संख्या* 13/2020 *सी.टी. दिनांक* 21.03.2020, *जैसा कि संशोधित किया गया।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

तथापि, बी2सी चालानों की रिपोर्टिंग अगले चरण में ई-चालान के अंतर्गत लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, ई-चालान इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी)[7] द्वारा जारी चालानों पर लागू नहीं है।

यदि अधिसूचित व्यक्ति द्वारा जारी चालान उसके द्वारा की गई आपूर्ति से संबंधित है, जिस पर भाग 9(3) के तहत रिवर्स चार्ज के तहत कर देय है, तो ई-चालान लागू होगा।

(3) यदि किसी करदाता (जैसे वकीलों की फर्म) का किसी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है और वह किसी कंपनी को सेवाएँ प्रदान कर रहा है (जो रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर दायित्व का निर्वहन करेगा), तो ऐसे चालानों को उक्त करदाता (क्योंकि वह अधिसूचित व्यक्ति है) द्वारा आईआरपी पर रिपोर्ट करना आवश्यक

दूसरी ओर, जहाँ अधिसूचित व्यक्ति द्वारा किसी निर्दिष्ट श्रेणी की आपूर्ति अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती है [भाग 9(4) के तहत रिवर्स चार्ज लागू] या सेवा के आयात के माध्यम से, वहाँ ई-चालान लागू नहीं होती/प्रयोज्य नहीं है। वस्तुओं के आयात (बिल ऑफ एंट्री) के मामले में भी ई-चालान लागू नहीं होती।

ई-चालान से छूट

निम्नलिखित संस्थाएँ ई-चालान की अनिवार्य आवश्यकता से छूट प्राप्त हैं:

- विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयाँ**
- बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान जिसमें एन.बी.एफ.सी. शामिल है
- सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन सेवा प्रदान करने वाला जी.टी.ए.
- यात्री परिवहन सेवा का आपूर्तिकर्ता
- मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों की प्रदर्शनी के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति
- एक सरकारी विभाग और एक स्थानीय प्राधिकरण

[7] *इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) से संबंधित प्रावधान अंतिम स्तर पर चर्चा किए गए हैं।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित संस्थाओं को ई-चालान जारी करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उनका किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 2017-18 से शुरू होने वाले वर्षों में कारोबार **₹5 करोड़** से अधिक हो।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त करदाताओं को, जिन्हें ई-चालान **की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है,** निम्नलिखित घोषणा प्रदान करनी आवश्यक है कि चालान नियम 48(4) के तहत निर्दिष्ट प्रकार में जारी करने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी मामलों में जहाँ चालान नियम 48(4) में निर्दिष्ट प्रकार के अतिरिक्त जारी किया जाता है, और जिन करदाताओं का किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 2017-18 से शुरू होने वाले वर्षों में अधिसूचित कुल कारोबार (वर्तमान में ₹5 करोड़) से अधिक है-

"मैं/हम यह घोषित करते हैं कि यद्यपि हमारा किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 2017-18 से शुरू होने वाले वर्षों में कुल कारोबार नियम 48 की उप-भाग (4) के तहत अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, हमें उक्त उप-भाग के प्रावधानों के अनुसार चालान तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।"

**यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एस.ई.ज़ेड. इकाइयाँ और एस.ई.ज़ेड. डेवलपर्स ई-चालान जारी करने से मुक्त नहीं हैं। अतः, एस.ई.ज़ेड. डेवलपर्स जिनका किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 2017-18 से शुरू होने वाले वर्षों में कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से ई-चालान जारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा एस.ई.ज़ेड. इकाइयों को की जाने वाली आपूर्ति के मामले में, ई-चालान जारी करना आवश्यक है।

(4) महाराजा प्राइवेट लिमिटेड के पास एक एस.ई.ज़ेड. यूनिट और एक नियमित डी.टी.ए. यूनिट है (दोनों का पैन समान है)। महाराजा प्राइवेट लिमिटेड का कुल कारोबार ₹5 करोड़ से

अधिक है (दोनों जीएसटीआईएन को मिलाकर देखा जाए)। हालांकि, डी.टी.ए. यूनिट का पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कारोबार ₹2.5 करोड़ है।

इस परिदृश्य में, एस.ई.ज़ेड. यूनिट ई-चालान से मुक्त है। हालांकि, डी.टी.ए. यूनिट पर ई-चालान लागू होगा क्योंकि इस मामले में कानूनी इकाई का कुल कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है। लागू होने की योग्यता सामान्य पैन पर वार्षिक कुल कारोबार के आधार पर निर्धारित होती है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

यह स्पष्ट किया गया है8 कि ई-चालान उत्पन्न करने से यह छूट पूरे संगठन के लिए है और इसे उस संगठन द्वारा की जाने वाली आपूर्ति की प्रकृति तक सीमित नहीं किया गया है।

(5) कोई बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती है, कुछ वस्तुओं की आपूर्ति, जिसमें सुवर्ण शामिल हो, करने में भी संलग्न हो सकती है। उक्त बैंकिंग कंपनी को अधिसूचना सं. 13/2020 सी.टी. दिनांक 21.03.2020 के अनुसार सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनिवार्य ई-इनवॉइस जारी करने से छूट प्राप्त है, और इस प्रकार, इसे अपनी किसी भी आपूर्ति के लिए ई-इनवॉइस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ई-इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है?

करदाता सबसे पहले अपने ईआरपी/अकाउंटिंग/बिलिंग सिस्टम या मैनुअल सिस्टम[9] का उपयोग करके अपना चालान तैयार और जनरेट करता है। चालान ई-इनवॉइस स्कीमा (अधिसूचित मानक प्रारूप - *आगे के अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई*) के अनुरूप होना चाहिए और इसमें अनिवार्य पैरामीटर शामिल होने चाहिए।

इस चालान का विवरण करदाता द्वारा चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) पर अपलोड/रिपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार करदाता अपनी आपूर्ति लेन-देन को आईआरपी पर पंजीकृत करता है।

अपलोड करने पर, आईआरपी ई-इनवॉइस को डिजिटल साइन करने और क्यू.आर. कोड (क्विक रिस्पॉन्स कोड) जोड़ने के बाद, एक अद्वितीय 'चालान संदर्भ संख्या (आई.आर.एन.)' के साथ वापस लौटाता है। इसके बाद, आपूर्तिकर्ता ई-इनवॉइस को प्राप्तकर्ता के साथ साझा करता है (क्यू.आर. कोड सहित)।

---

[8] सर्कुलर सं. *186/18/2022* जी.एस.टी. दिनांक *27.12.2022*

[9] *जिन इकाइयों के पास अपना ईआरपी/सॉफ़्टवेयर समाधान नहीं है, वे ई-इनवॉइस पोर्टल से डाउनलोड करने योग्य मुफ्त ऑफ़लाइन यूटिलिटी ('बुल्क जनरेशन टूल') का उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से, चालान डेटा को आसानी से आईआरपी पर रिपोर्ट किया जा सकता है और आई.आर.एन./साइन किए गए ई-इनवॉइस प्राप्त किए जा सकते हैं।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

06/12/2019 PM ई-चालान

योजना संस्करण: 1.0
कर योजना: जीएसटी
प्राप्तकर्ता के लिए मूल

1.	जीएसटीआईए	05AAACG2207L1ZY	**प्रेषण: 05AAACG2207L1ZY,**
2.	नाम	जीएसटीआईएन लि	**जी.एस.टी.एन. लिमिटेड**
3.	पता	गोदरेज, विक्रोली, मुंबई, महाराष्ट्र, 400076	पता: गोदरेज, विक्रोली, मुंबई
4.	चालान का सीरियल नंबर	जीएसटीएन001	राज्य: महाराष्ट्र
5.	चालान की तिथि	06/12/2019	पिन कोड: 400076
6.	आईआरएन नंबर	06AAACG2207L1ZY/GSTIN01/2019-20	

प्राप्तकर्ता का विवरण (बिल भेजा गया)		प्राप्तकर्ता का विवरण (शिपमेंट)	
नाम	ए.बी.सी. इंडिया लिमिटेड	नाम	ए.बी.सी. इंडिया लिमिटेड
पता	मुंबई	पता	मुंबई
पिन कोड	400011	पिन कोड	400011
राज्य	महाराष्ट्र	राज्य	महाराष्ट्र
राज्य कोड (आपूर्ति का स्थान)	महाराष्ट्र	राज्य कोड (आपूर्ति का स्थान)	महाराष्ट्र
जीएसटीआईएन /विशिष्ट आईडी	06AAACG2207L1EZD	जीएसटीआईएन /विशिष्ट आईडी	05AAACG2207L1EZD

नमूना ई-चालान

आपूर्ति प्रकार जावक

लेनदेन मॉडल कर चालान

क्रम संख्या	आपूर्ति का विवरण / वस्तु का विवरण	एचएसएन कोड	मात्रा	दर प्रति इकाई	जीएसटी दर (सीजीएसटी + एसजीएसटी (आईजीएसटी) का कुल योग)	कर योग्य मूल्य	सीजीएसटी		एसजीएसटी		आईजीएसटी		सेस	
							%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि
1	लैपटॉप	8700	2.00	50000.00	18.00	100000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00		0.00
					कुल	100000.0	9000.0		9000.00		0.00			

कुल चालान मूल्य (अंकों में):	118000.00	कुल कर योग्य राशि	100000.00
रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर की राशि:	नहीं	कुल कर राशि	18000.00
भुगतान प्राप्तकर्ता की जानकारी			
भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम		अंतिम राशि	118000.00
खाता संख्या	KPMG	अग्रिम भुगतान की गई राशि	10000.00
भुगतान का माध्यम		बकाया राशि	98000.00
आई.एफ.एस.सी. कोड			
	नकद		

टिप्पणी 1
टिप्पणी 2

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ई-इनवॉइस डेटा का जीएसटी सिस्टम द्वारा ई-वे बिल जनरेट करने या जीएसटी रिटर्न के संबंधित भागों में उपयोग

आईआरपी को चालान विवरण सफलतापूर्वक रिपोर्ट करने के बाद, चालान डेटा (पेलोड) सहित आई.आर.एन., जीएसटी सिस्टम में सुरक्षित किया जाएगा।

जीएसटी सिस्टम इसे स्वचालित रूप से आपूर्तिकर्ता के जी.एस.टी.आर.-1 और संबंधित प्राप्तकर्ताओं के जी.एस.टी.आर.-2 ए में प्रविष्ट कर देगा। आई.आर.एन. और आई.आर.एन. तारीख भी प्रदर्शित की जाएगी तथा स्रोत के रूप में 'ई-इनवॉइस' दर्शाया जाएगा (सिवाय उन मामलों के जहाँ करदाता द्वारा ऐसे विवरण में संशोधन/पुनः-अपलोड किया गया हो)।

ई-इनवॉइस स्कीमा (जैसा कि बाद में चर्चा की गई है) में ऐसे पैरामीटर शामिल हैं जैसे 'ट्रांसपोर्टर आईडी' और 'वाहन संख्या', आदि, जो ई-वे बिल बनाने और जनरेट करने के लिए आवश्यक हैं। यदि ये जानकारी विक्रेता के पास उपलब्ध हो, तो इन्हें ई-इनवॉइस जनरेशन के समय प्रविष्ट किया जा सकता है ताकि उपयोगकर्ता द्वारा आगे कोई अतिरिक्त डेटा एंट्री किए बिना ई-वे बिल तैयार किया जा सके।

ई-इनवॉइस रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर पहले से ही ई-इनवॉइस रिपोर्टिंग और उसी डेटा से ई-वे बिल जनरेशन की सुविधा प्रदान करता है।

रिपोर्ट किए गए चालान का रद्दीकरण / संशोधन

जहाँ आवश्यक हो, विक्रेता किसी पहले से रिपोर्ट किए गए ई-इनवॉइस के लिए आई.आर.एन. को निर्दिष्ट समय[10] के भीतर आईआरपी पर रिपोर्ट कर रद्द कर सकता है।

आईआरपी पर पहले से अपलोड किए गए ई-इनवॉइस में संशोधन केवल जीएसटी पोर्टल पर (जी.एस.टी.आर.-1 दाखिल करते समय) किया जाएगा। आईआरपी के माध्यम से चालानों में संशोधन संभव नहीं है।

व्यवसायों के लिए प्रभाव

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि ई-इनवॉइसिंग का अर्थ यह नहीं है कि चालान को सरकार के पोर्टल पर तैयार/जनरेट करना आवश्यक है। इसका केवल यह तात्पर्य है कि सरकार के पोर्टल को सूचित किया जाए कि चालान खरीदार को जारी किया गया है, और उस विशेष चालान को सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। परिणामस्वरूप, व्यवसाय पहले की तरह चालान जारी करना जारी रखेंगे।

ई-इनवॉइसिंग की आवश्यकताओं के अनुसार (अर्थात चालानों को आईआरपी पर रिपोर्ट करने और आई.आर.एन. प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए) आवश्यक परिवर्तन ईआरपी / अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ़्टवेयर प्रदाताओं द्वारा उनके संबंधित सॉफ़्टवेयर में किए जाने चाहिए। उन्हें इस सुविधा वाला अपडेटेड संस्करण प्राप्त करना आवश्यक है।

---

[10] हालाँकि, यदि संबंधित ई-वे बिल सक्रिय है या परिवहन के दौरान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, तो आई.आर.एन. को रद्द करने की अनुमति नहीं होगी।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

महत्वपूर्ण शब्द

ई-इनवॉइस स्कीमा

व्यवसाय विभिन्न अकाउंटिंग/बिलिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं, जो अपने-अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चालान तैयार और संग्रहित करते हैं। ये विभिन्न फॉर्मेट न तो जीएसटी सिस्टम द्वारा समझे जाते हैं और न ही आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ताओं के सिस्टम द्वारा।

(6) एसएपी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया चालान उस मशीन द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता जो 'गणना' सिस्टम का उपयोग कर रही हो, जब तक कि कोई कनेक्टर उपयोग न किया जाए।

इस परिदृश्य में, मशीन-पठनीयता और समान व्याख्या सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'ई-इनवॉइसिंग' की शुरुआत की गई। पूरे जीएसटी ईको-सिस्टम में ई-इनवॉइस की पूर्ण 'इंटर-ऑपरेबिलिटी' सुनिश्चित करने के लिए एक चालान मानक आवश्यक है। इसके माध्यम से, किसी एक सॉफ़्टवेयर द्वारा तैयार किए गए ई-इनवॉइस को किसी भी अन्य सॉफ़्टवेयर द्वारा पढ़ा जा सकता है, जिससे नई/मैनुअल डेटा एंट्री की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। चूंकि पहले ई-इनवॉइस के लिए ऐसा कोई मानक उपलब्ध नहीं था, इसलिए पहले चरण के रूप में ई-इनवॉइस के लिए एक मानक प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।

यह समान मानक प्रारूप (जिसमें निर्दिष्ट फ़ील्ड शामिल हैं), जो पूरे देश में सभी व्यवसायों पर लागू होता है, 'ई-इनवॉइस स्कीमा' के रूप में जाना जाता है। इसे **फॉर्म जीएसटी इनवॉइस-1** के रूप में अधिसूचित किया गया है। ई-इनवॉइस स्कीमा यह निर्धारित करता है कि कौन-से विवरण इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आईआरपी को रिपोर्ट किए जाएँ। चालान विवरण निर्दिष्ट स्कीमा में जेएसओएन प्रारूप (जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन) में आईआरपी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। 'जेएसओएन' को सिस्टम/मशीनों के बीच संवाद और डेटा विनिमय के लिए एक सामान्य भाषा के रूप में समझा जा सकता है।

चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी)

आईआरपी वह वेबसाइट है जहाँ अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा चालान अपलोड/रिपोर्ट किए जाते हैं। ई-इनवॉइस की तैयारी के उद्देश्य से निम्नलिखित आईआरपी अधिसूचित किए गए हैं:

www.einvoice1.gst.gov.in
www.einvoice2.gst.gov.in
www.einvoice3.gst.gov.in
www.einvoice4.gst.gov.in
www.einvoice5.gst.gov.in
www.einvoice6.gst.gov.in
www.einvoice7.gst.gov.in
www.einvoice8.gst.gov.in
www.einvoice9.gst.gov.in
www.einvoice10.gst.gov.in

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

चालान संदर्भ संख्या

जैसा कि पहले देखा गया, जीएसटी चालान केवल वैध आई.आर.एन. के साथ ही वैध होगा। आई.आर.एन., चालान संख्या से भिन्न है। चालान संख्या (जैसे एबीसी/1/2019-20) आपूर्तिकर्ता द्वारा आवंटित की जाती है और यह व्यवसाय के आंतरिक उपयोग के लिए होती है। इसका प्रारूप व्यवसाय से व्यवसाय में भिन्न हो सकता है और यह संबंधित जी.एस.टी. नियमों द्वारा शासित होता है।

दूसरी ओर, आई.आर.एन. एक अद्वितीय संदर्भ संख्या (हैश) है, जिसे ई-इनवॉइस के सफल पंजीकरण पर आईआरपी द्वारा उत्पन्न किया जाता है और लौटाया जाता है। आई.आर.एन. एक अद्वितीय 64-अक्षरीय हैश होता है, उदाहरण के लिए:

35054cc24d97033afc24f49ec4444dbab81f542c555f9d30359dc75794e06bbe

ई-इनवॉइस जनरेशन, इसके रिपोर्टिंग/पंजीकरण और पुष्टिकरण प्राप्त करने की संपूर्ण कार्यप्रणाली नीचे दर्शाई गई है:

क. व्यवसाय (आपूर्तिकर्ता) और चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) के बीच बातचीत.

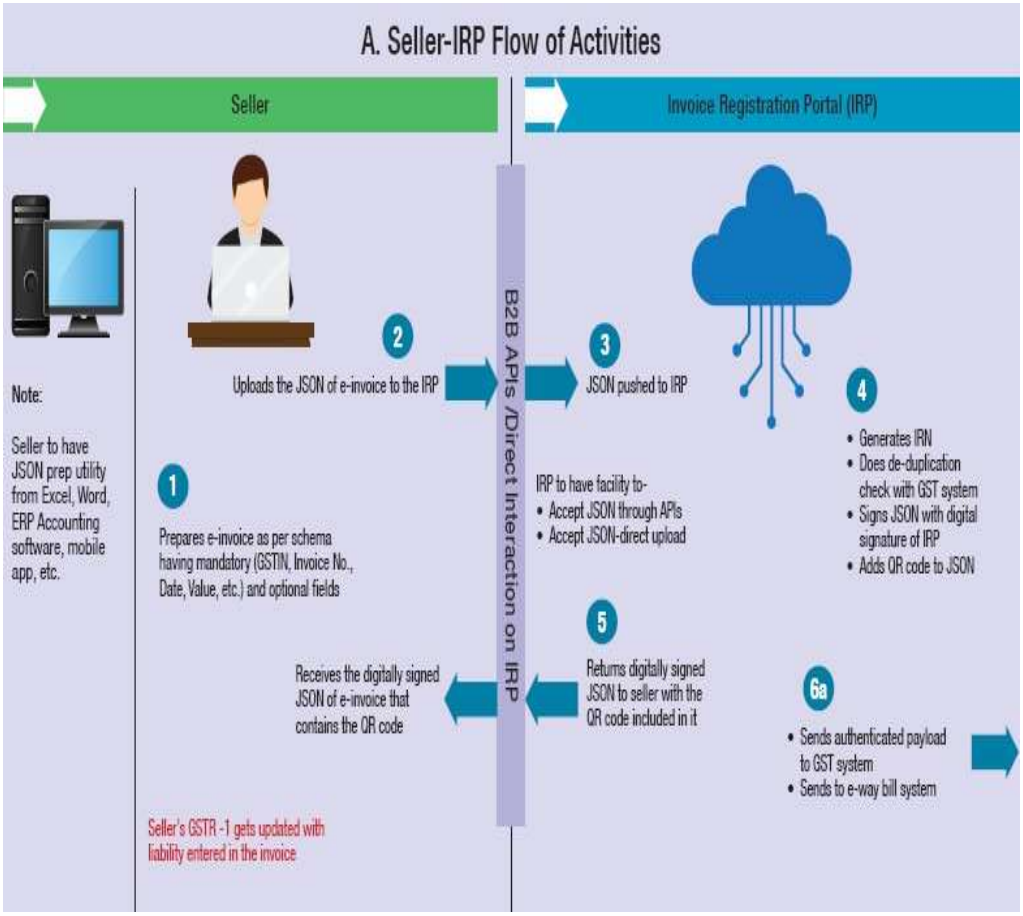

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ख. आईआरपी और जीएसटी/ई-वे बिल सिस्टम तथा खरीदार के बीच बातचीत

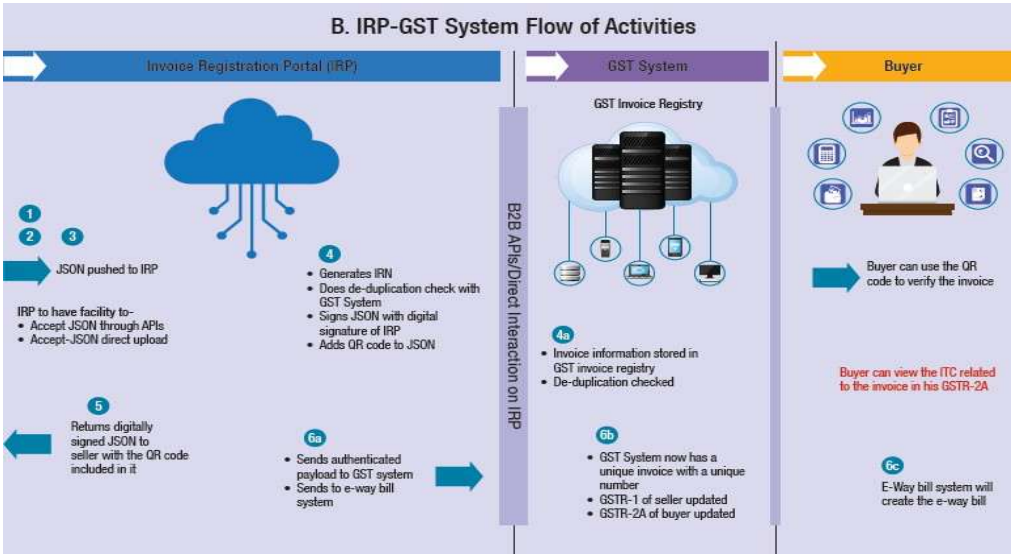

अन्य बिंदु:

- ई-इनवॉइसिंग प्रणाली ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के लिए भी उपलब्ध है, ताकि वे आपूर्तिकर्ताओं की ओर से तैयार किए गए चालानों को चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकें।
- आईआरपी पर चालानों का बल्क अपलोडिंग भी संभव[11] है।
- सीबीआईसी ने स्पष्ट[12] किया है **कि उन मामलों में जहाँ विक्रेता द्वारा ई-इनवॉइस तैयार किया गया हो, वहाँ कर चालान की भौतिक प्रति ले जाने की आवश्यकता नहीं है।** जब भी ई-इनवॉइस तैयार किया गया हो, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए, अंतर्निहित चालान संदर्भ संख्या (आई.आर.एन.) वाले क्यू.आर. कोड का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

---

[11] *ई-इनवॉइसिंग पर चर्चा मुख्य रूप से संबंधित नियमों, अधिसूचनाओं और जीएसटीएन वेबसाइट पर होस्ट किए गए ई-इनवॉइसिंग संबंधी एफ.ए.क्यू. पर आधारित है।*

[12] *सर्कुलर सं.* 160/16/2021 *जी.एस.टी. दिनांक* 20.09.2021

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

क्विक रिस्पॉन्स (क्यू.आर.) कोड

चालान के आईआरपी पर सफल पंजीकरण के पश्चात, यह आपूर्तिकर्ता को आई.आर.एन. और क्यू.आर. कोड के साथ साइन किया गया ई-इनवॉइस लौटाएगा। आई.आर.एन. क्यू.आर. कोड में अंतर्निहित होता है, जिसे निकालकर चालान पर मुद्रित किया जाएगा। क्यू.आर. कोड से चालानों का त्वरित दृश्य, सत्यापन और जी.एस.टी. सिस्टम से हैंड-हेल्ड डिवाइस पर पहुँच संभव होती है। डिजिटल रूप से साइन किया गया क्यू.आर. कोड अद्वितीय आई.आर.एन. रखेगा, जिसे केंद्रीय पोर्टल पर तथा अधिकारी द्वारा ऑफ़लाइन एप्लिकेशन के माध्यम से भी सत्यापित किया जा सकता है। **यह उन कर अधिकारियों के लिए सहायक होगा जो सड़क किनारे चालान की ऑफ़लाइन जाँच कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता।**

क्यू.आर. कोड में निम्नलिखित ई-इनवॉइस पैरामीटर शामिल होते हैं:

- आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.आई.एन.
- प्राप्तकर्ता का जी.एस.टी.आई.एन.
- आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया गया चालान संख्या
- चालान जनरेशन की तारीख
- चालान मूल्य (कर योग्य मूल्य और सकल कर)
- लाइन आइटम की संख्या
- मुख्य आइटम का एचएसएन कोड (वह लाइन आइटम जिसका कर योग्य मूल्य सबसे अधिक है)
- अद्वितीय चालान संदर्भ संख्या (हैश)
- आई.आर.एन. जनरेशन की तारीख

ई-इनवॉइसिंग उन सरकारी विभागों/पीएसयू आदि पर लागू होती है जो केवल स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के उद्देश्य से भाग 51 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं।

- विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या ई-इनवॉइसिंग उन आपूर्तियों पर लागू होती है जो किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हों, जिनकी टर्नओवर ई-इनवॉइस जनरेशन के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है, और जो आपूर्ति सरकारी विभागों या संस्थाओं/सरकारी एजेंसियों/स्थानीय प्राधिकरणों/ पीएसयू को की गई हो, जो केवल टीडीएस कटौती के उद्देश्य से भाग 51 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभाग या संस्थाएँ/सरकारी एजेंसियाँ/स्थानीय प्राधिकरण/पीएसयू, जिन्हें भाग 51 के तहत टीडीएस कटौती करनी आवश्यक है, उनके लिए भाग 24(vi) के अनुसार अनिवार्य पंजीकरण का दायित्व है।
- अतः, सरकारी विभाग या संस्थाएँ/सरकारी एजेंसियाँ/स्थानीय प्राधिकरण/पीएसयू, जो केवल भाग 51 के प्रावधानों के तहत टीडीएस कटौती के उद्देश्य से पंजीकृत हैं, उन्हें भाग 2(94) के प्रावधानों के अनुसार जी.एस.टी. कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति माना जाएगा।
- तदनुसार, वह पंजीकृत व्यक्ति, जिसकी टर्नओवर ई-इनवॉइस जनरेशन के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है, नियम 48(4)[13] के तहत ऐसी सरकारी विभागों या संस्थाओं/सरकारी एजेंसियों/स्थानीय प्राधिकरण/पीएसयू आदि को की गई आपूर्ति के लिए ई-इनवॉइस जारी करने का दायित्व रखता है।

बी2सी चालानों पर डायनेमिक क्यू.आर.

2017-18 से किसी भी पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी सभी बी2सी चालानों में क्यू.आर. कोड होगा।

नियम **46** के छठे उपभाग ने सरकार को यह अधिकार दिया है कि कर चालान में क्विक रिस्पॉन्स (क्यू.आर.) कोड होना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, यह अधिसूचित[14] किया गया है कि पंजीकृत व्यक्ति [विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर (जैसा कि बाद में चर्चा की गई)], जिसका किसी वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर **500** करोड़ से अधिक है, बी2सी आपूर्ति (अवंचित व्यक्ति को वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति) के संबंध में डायनेमिक क्यू.आर. कोड वाला चालान जारी करेगा।

ऐसा डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स (क्यू.आर.) कोड, जो इस प्रकार के पंजीकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से खरीदार को उपलब्ध कराया गया हो (भुगतान क्रॉस-रेफरेंस सहित), क्यू.आर. कोड माना जाएगा। **इस प्रावधान का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को सक्षम और प्रोत्साहित करना है, जहाँ खरीदार डायनेमिक क्यू.आर. कोड स्कैन करके सीधे मोबाइल वॉलेट से भुगतान कर सके।**

---

[13] *सर्कुलर सं.* 198/10/2023 *जी.एस.टी. दिनांक* 17.07.2023

[14] *अधिसूचना सं.* 14/2020 *सी.टी. दिनांक* 21.03.2020

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

आजकल, कई दुकानों में भुगतान काउंटर पर स्थिर क्यू.आर. कोड होता है, जिसे खरीदार स्कैन करता है, लेकिन खरीदार को मोबाइल भुगतान ऐप में दुकान को चुकाई जाने वाली राशि दर्ज करनी पड़ती है। इसके विपरीत, डायनेमिक क्यू.आर. कोड में भुगतान विवरण पहले से शामिल होता है और इसलिए 'स्कैन और पे' एक ही कदम में संभव है।

इसका बी2बी आपूर्ति के संबंध में ई-इनवॉइसिंग पर कोई प्रासंगिकता या लागू होना नहीं है, जब तक कि यह अधिसूचित करदाताओं के वर्ग से संबंधित हो। डायनेमिक क्यू.आर. कोड विक्रेता स्वयं उत्पन्न करेगा, या तो पॉइंट ऑफ़ सेल (पी.ओ.एस.) मशीन पर या जारी किए गए चालान पर।

यू.आई.एन. धारक को जारी चालान में डायनेमिक क्यू.आर. कोड

जो कोई व्यक्ति यूनिक आइडेंटिटी नंबर (यू.आई.एन.) प्राप्त करता है, वह भाग 2(94)[15] में दिए गए पंजीकृत व्यक्ति की परिभाषा के अनुसार "पंजीकृत व्यक्ति" नहीं है। अतः, ऐसे यू.आई.एन. धारक को जारी कोई भी चालान बी2सी आपूर्ति के लिए जारी चालान माना जाएगा और उसमें डायनेमिक क्यू.आर. कोड की आवश्यकता पूरी करनी होगी।

डायनेमिक क्यू.आर. कोड की आवश्यकता का अनुप्रयोग न होना

डायनेमिक क्यू.आर. कोड उन चालानों पर लागू नहीं होता जो निम्नलिखित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अवंचित व्यक्ति को जारी किए गए हों:

(i) बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसमें एन.बी.एफ.सी. शामिल हैं

(ii) सामान परिवहन एजेंसी, जो रोड पर माल वाहन द्वारा माल परिवहन से संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है

(iii) यात्री परिवहन सेवा का आपूर्तिकर्ता

(iv) व्यक्ति, जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर सिनेमा फिल्म के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करता है

---

[15] *पंजीकृत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जो भाग* 25 *के अंतर्गत पंजीकृत हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर (यू.आई.एन.) हो [भाग* 2(94)]*।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(v) ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनः प्राप्ति (ओ.आई.डी.ए.आर.) सेवाओं[16] का आपूर्तिकर्ता

निर्यात के मामले में डायनेमिक क्यू.आर. कोड नहीं: जहाँ तक निर्यात के लिए की गई आपूर्ति का संबंध है, भले ही ऐसी आपूर्ति पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अवंचित व्यक्ति को की गई हो, चूंकि निर्यात के लिए आपूर्ति के संबंध में ई-इनवॉइस जारी करना आवश्यक है और उन्हें बी2बी आपूर्ति के रूप में माना जाता है, इसलिए डायनेमिक क्यू.आर. कोड की आवश्यकता उन पर लागू नहीं होगी।

डायनेमिक क्यू.आर. कोड में कैप्चर किए जाने वाले पैरामीटर/विवरण:

डायनेमिक क्यू.आर. कोड, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित जानकारी शामिल करेगा:

- आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.आई.एन. नंबर
- आपूर्तिकर्ता का यू.पी.आई. आई.डी.
- भुगतानकर्ता का बैंक खाता नंबर और आई.एफ.एस.सी.
- चालान संख्या और चालान तारीख
- कुल चालान मूल्य और
- जी.एस.टी. राशि सहित उसका ब्रेकअप, अर्थात् सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी., सेस आदि

इसके अतिरिक्त, डायनेमिक क्यू.आर. कोड ऐसा होना चाहिए कि इसे स्कैन करके डिजिटल भुगतान किया जा सके।

डायनेमिक क्यू.आर. कोड का उद्देश्य यह है कि प्राप्तकर्ता/ग्राहक उक्त आपूर्ति के लिए भुगतान राशि को व्यापारी/आपूर्तिकर्ता को स्कैन और भुगतान कर सके। यदि आपूर्तिकर्ता ने भुगतान के लिए डायनेमिक क्यू.आर. कोड वाले चालान जारी किए हैं, तो उक्त चालान को डायनेमिक क्यू.आर. कोड की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जाएगा।

---

[16] *ओ.आई.डी.ए.आर. सेवाओं से संबंधित प्रावधान अंतिम स्तर पर चर्चा किए गए हैं।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ख. विशेष मामले

(i) संशोधित कर चालान [भाग 31(3)(ए) साथ नियम 3 के अनुसार] कब जारी किया जाता है?

- प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से पहले की तारीख से पंजीकरण प्रदान किया गया हो, संशोधित कर चालान जारी कर सकता है। ऐसे चालान पहले से जारी चालानों के विरुद्ध जारी किए जाएंगे।

> भाग 31 *के प्रयोजनों के लिए,* "***कर चालान***" *की अभिव्यक्ति में उस आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता* ***द्वारा जारी किया*** *गया कोई भी संशोधित चालान शामिल होगा जो पहले की गई आपूर्ति के लिए हो [भाग 31 की व्याख्या]।*

- **संशोधित कर चालान पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।** ऐसे चालानों पर स्पष्ट रूप से "संशोधित चालान" शब्द दर्शाए जाने चाहिए।
- यह प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए दायित्व प्राप्त करता है, उसे पंजीकरण के लिए दायित्व प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। जब ऐसा आवेदन निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाता है और पंजीकरण प्रदान किया जाता है, तो पंजीकरण की प्रभावी तारीख वह तारीख होती है जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायित्व प्राप्त हुआ।
- अतः, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख और पंजीकरण की प्रभावी तारीख के बीच समय अंतराल रहेगा।

इस अंतराल के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति के लिए, कानून संशोधित चालान जारी करने की अनुमति देता है, ताकि प्राप्तकर्ता को ऐसी आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) प्राप्त हो सके।

इस अवधि के दौरान की गई कर योग्य आपूर्ति के संबंध में संशोधित कर चालान जारी किए जाने चाहिए।

पंजीकरण की प्रभावी तिथि | **पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि**

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(7) साराभाई प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली में 1 अप्रैल से वस्तुओं की आपूर्ति का व्यवसाय शुरू किया। इसका टर्नओवर 3 सितंबर को लागू सीमा को पार कर गया। अतः, यह 3 सितंबर से पंजीकरण के लिए दायित्ववान हो गया। इसने 29 सितंबर को पंजीकरण के लिए आवेदन किया और 5 अक्टूबर को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। चूंकि इसने पंजीकरण के लिए दायित्व प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया, पंजीकरण 3 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा।

प्राइवेट लिमिटेड सितंबर अक्टूबर की योग्य आपूर्ति

कुछ मामलों में सम्मिलित संशोधित कर चालान

एक पंजीकृत व्यक्ति ऐसी अवधि में किसी अवंचित प्राप्तकर्ता को की गई सभी कर योग्य आपूर्ति के संबंध में **सम्मिलित संशोधित कर चालान** जारी कर सकता है।

हालाँकि, **अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में**, यदि आपूर्ति का मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उस राज्य में स्थित सभी अवंचित प्राप्तकर्ताओं के संबंध में अलग से सम्मिलित संशोधित चालान जारी किया जा सकता है।

इस प्रकार, पंजीकरण की तारीख से एक महीने के भीतर संशोधित/सम्मिलित संशोधित चालान निम्नानुसार जारी किया जा सकता है:

- **प्रत्येक अंतर-राज्य बी2सी कर योग्य आपूर्ति तक 2,50,000:** राज्य-वार सम्मिलित संशोधित चालान
- **प्रत्येक अंतर-राज्य बी2सी कर योग्य आपूर्ति 2,50,000 से अधिक:** प्राप्तकर्ता-वार संशोधित चालान
- **सभी अंतःराज्य बी2सी कर योग्य आपूर्ति (राशि की परवाह किए बिना):** सम्मिलित संशोधित चालान

संशोधित कर चालान के विवरण

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जी.एस.टी.आई.एन.;
एक क्रमागत क्रमांक, जो 16 अक्षरों से अधिक न हो, एक या एकाधिक श्रृंखलाओं में, जिसमें अक्षर, अंक, विशेष अक्षर (हाइफ़न/डैश और स्लैश) या इनका कोई भी संयोजन शामिल हो, जो किसी वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हो;
दस्तावेज़ जारी करने की तारीख;
प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जी.एस.टी.आई.एन. या यू.आई.एन. (यदि पंजीकृत हो);

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

प्राप्तकर्ता का नाम और पता तथा वितरण का पता, साथ ही राज्य का नाम और उसका कोड, यदि प्राप्तकर्ता अवंचित हो;
संबंधित कर चालान या, जहाँ लागू हो, आपूर्ति बिल का क्रमांक और तारीख;
आपूर्तिकर्ता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर।

उदाहरण 1

मेघालय की **लव एंड कुश प्रा. लि.,** जो उपहार वस्तुओं और मरम्मत सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न है, आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करती है:-

क्र. सं.	विवरण	तारीख
1.	*वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय की शुरूआत*	1st अगस्त
2.	*टर्नओवर* 10,00,000 *रुपये से अधिक हो गया*	15th अगस्त
3.	*टर्नओवर* 20,00,000 *रुपये से अधिक हो गया*	5th सितम्बर
4.	*पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया*	28th सितम्बर
5.	*पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया*	6th अक्टूबर

कंपनी आपकी सलाह चाहती है कि उसे की गई आपूर्ति के लिए **संशोधित कर चालान** कैसे जारी करने चाहिए। क्या अवंचित ग्राहकों को संशोधित कर चालान जारी करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वस्तुएँ और सेवाएँ दोनों की आपूर्ति करने वाला वह आपूर्तिकर्ता, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कुल टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक हो [विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये], पंजीकरण के लिए पंजीकरण के दायित्व प्राप्त होने की तारीख (अर्थात् 20 लाख / 10 लाख रुपये की सीमा पार करने की तारीख) से 30 दिनों के भीतर आवेदन करने का दायित्व रखता है, भाग 22 के प्रावधानों के अनुसार। चूंकि मेघालय कोई विशेष श्रेणी का राज्य नहीं है, इसलिए लागू सीमा 20 लाख रुपये है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अतिरिक्त रूप से, यदि आवेदन उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो पंजीकरण की प्रभावी तारीख वह तारीख होती है जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायित्ववान होता है; अन्यथा यह पंजीकरण प्रदान करने की तारीख होती है।

हर पंजीकृत व्यक्ति, जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से पहले की तारीख से पंजीकरण प्रदान किया गया हो, उस अवधि के दौरान की गई कर योग्य आपूर्ति के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संशोधित कर चालान जारी कर सकता है। अर्थात् पंजीकरण की प्रभावी तारीख से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख तक। चूंकि लव एंड कुश प्रा. लि. ने पंजीकरण के लिए दायित्व प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया, इसलिए पंजीकरण की प्रभावी तारीख वह तारीख बनती है जिस दिन कंपनी पंजीकरण के लिए दायित्ववान हुई, अर्थात् 5 सितंबर।

अतः लव एंड कुश प्रा. लि. 5 सितंबर (पंजीकरण की प्रभावी तारीख) और 6 अक्टूबर (पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख) के बीच पहले से जारी चालानों के विरुद्ध संशोधित कर चालान 6 अक्टूबर से 1 महीने के भीतर जारी कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, लव एंड कुश प्रा. लि. ऐसी अवधि में अवंचित विक्रेताओं को की गई सभी कर योग्य आपूर्ति के संबंध में सम्मिलित संशोधित कर चालान जारी कर सकता है। हालांकि, अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में, यदि आपूर्ति का मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उस राज्य में स्थित सभी अवंचित प्राप्तकर्ताओं के संबंध में अलग से सम्मिलित संशोधित चालान जारी किया जा सकता है।

(ii) यदि मूल्य 200 रुपये से कम हो तो कर चालान जारी करने की आवश्यकता नहीं - ऐसे में सम्मिलित कर चालान जारी किया जा सकता है [भाग 31(3)(बी) के साथ नियम 46 के चौथे उपभाग के प्रावधान अनुसार]।

एक पंजीकृत व्यक्ति कर चालान जारी नहीं करेगा यदि:

(i) वस्तुओं/सेवाओं/दोनों की आपूर्ति का मूल्य <200 रुपये हो,

(ii) प्राप्तकर्ता अवंचित हो; और

(iii) प्राप्तकर्ता को ऐसे चालान की आवश्यकता न हो।

इसके बजाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को प्रत्येक दिन के अंत में ऐसी सभी आपूर्ति के संबंध में **सम्मिलित कर चालान** जारी करना होगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अतः छोटे करदाताओं, जैसे छोटे खुदरा विक्रेताओं, जो अवंचित ग्राहकों के लिए प्रति लेन-देन 200 रुपये तक के बहुत सारे छोटे लेन-देन करते हैं, उन्हें प्रत्येक लेन-देन के लिए चालान जारी करने की आवश्यकता नहीं है। वे दिन के अंत में उस दिन की सभी लेन-देन के लिए एक **सम्मिलित चालान** जारी कर सकते हैं। हालाँकि, यदि ग्राहक चालान की मांग करता है, तो उन्हें चालान जारी करना होगा।

हालाँकि, यह विकल्प उन आपूर्तिकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमाघरों के प्रदर्शन के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न हैं।

उपरोक्त प्रावधान आपूर्ति बिल पर भी लागू होता है।

उदाहरण 2

जैन एंड सन्स एक व्यापारी है जो स्टेशनरी आइटम्स का व्यवसाय करता है। यह जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है और उसने दिन के दौरान निम्नलिखित बिक्री की है:-

क्र. सं.	आपूर्ति का प्राप्तकर्ता	राशि (₹)
1.	**राघव ट्रेडर्स**- पंजीकृत खुदरा विक्रेता	*190*
2.	**ध्रुव एंटरप्राइजेज़** - अवंचित व्यापारी	*358*
3.	**गौरव** - चित्रकार [अवंचित]	*500*
4.	**ओबेरॉय ऑरफनेज**- अवंचित संस्था	*188*
5.	**आराध्या** - छात्र [अवंचित]	*158*

किसी भी प्राप्तकर्ता को कर चालान की आवश्यकता नहीं है [राघव ट्रेडर्स एक **संयोजन करदाता** होने के कारण]।

निर्धारित कीजिए कि उपरोक्त आपूर्ति में से किन आपूर्ति के संबंध में **जैन एंड सन्स** दिन के अंत में **कर चालान** के बजाय **सम्मिलित कर चालान** जारी कर सकता है।

उत्तर

दिए गए उदाहरण में, जैन एंड सन्स केवल उन आपूर्ति के संबंध में सम्मिलित कर चालान जारी कर सकता है जो ओबेरॉय ऑरफनेज[188] और आराध्या [158] को की गई हैं, क्योंकि इन प्राप्तकर्ताओं को दी गई वस्तुओं का मूल्य 200 रुपये से कम है, साथ ही ये प्राप्तकर्ता अवंचित हैं और उन्हें कर चालान की आवश्यकता नहीं है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

जहाँ तक राघव ट्रेडर्सको की गई आपूर्ति का संबंध है, भले ही उसे दी गई वस्तुओं का मूल्य 200 रुपये से कम हो, राघव ट्रेडर्सजी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत है। अतः सम्मिलित कर चालान जारी नहीं किया जा सकता।

ध्रुव एंटरप्राइजेज़ और गौरव को की गई वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी सम्मिलित कर चालान जारी नहीं किया जा सकता, भले ही ये दोनों अवंचित हों। इसका कारण यह है कि इन्हें दी गई वस्तुओं का मूल्य 200 रुपये से कम नहीं है।

(iii) आपूर्ति बिल [भाग 31(3)(सी) के साथ नियम 49]

भाग 31(3)(सी) यह निर्धारित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, जो छूट प्राप्त वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों प्रदान करता है, या जो संयोजन कर के अंतर्गत कर का भुगतान करता है, उसे कर चालान[17] के स्थान पर आपूर्ति बिल जारी करना होगा। संयोजन कर का विकल्प चुनने वाला[18] व्यक्ति जारी किए गए आपूर्ति बिल के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से यह शब्द लिखेगा:"**संयोजन करदाता, आपूर्ति पर कर वसूल करने के योग्य नहीं**"।

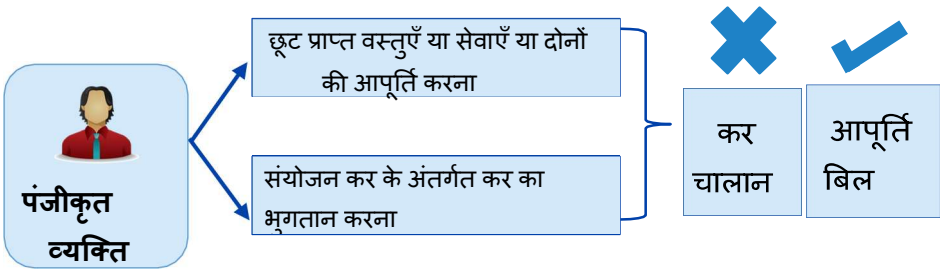

आपूर्ति बिल के विवरण

संयोजन कर का विकल्प चुनने वाला पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता से कर वसूल नहीं करता। इसी प्रकार, छूट प्राप्त वस्तुएँ और/या सेवाएँ प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति के मामले में कोई कर देयता

नहीं होती। ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्तकर्ताओं को कर चालान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे कर चालान जारी नहीं कर सकते ।

चूँकि समायोजन कर चुनने वाला पंजीकृत व्यक्ति तथा अप्राकृतिक वस्तुएँ और/या सेवाएँ प्रदान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति प्राप्तकर्ता से कोई कर

---

[17] *आदेश संख्या* 3/2019 *सी.टी. दिनांक* 08.03.2019 *में यह निर्देश दिया गया है कि अधिसूचना संख्या* 2/2019 *के अंतर्गत कर देने वाला व्यक्ति कर चालान के स्थान पर बिल ऑफ सप्लाई भी जारी करेगा।*

[18] *नियम* 49 *के चौथे खंड में यह प्रावधान है कि बिल ऑफ सप्लाई में क्विक रिस्पांस (क्यू.आर.) कोड शामिल होना चाहिए। हालाँकि, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

वसूल नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए बिल ऑफ सप्लाई में कर की दर और कर राशि से संबंधित विवरण शामिल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, बिल में उल्लेखित मूल्य भी कर योग्य मूल्य नहीं होता है।

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
एक क्रमागत भागवाहिक संख्या, जो 16 अक्षरों से अधिक नहीं हो, एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में, जिसमें अक्षर, अंक या विशेष अक्षर - हाइफ़न या डैश और स्लैश और इनके किसी भी संयोजन शामिल हों, और जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हो;
इसके जारी होने की तारीख;
प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;
वस्तुओं या सेवाओं के लिए एचएसएन कोड;
वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का विवरण;
वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य, जिसमें किसी भी छूट/रियायत को ध्यान में रखा गया हो; और
आपूर्तिकर्ता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर। हालाँकि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई जारी करने के मामले में आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा।

नोट: किसी भी कर योग्य नहीं होने वाली आपूर्ति के संबंध में किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में प्रभाव में किसी भी कर चालान या किसी अन्य समान दस्तावेज को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बिल ऑफ सप्लाई के रूप में माना जाएगा।

(8) पटेल एंड संस एक वस्तु निर्माता है जिसने भाग 10(1) और 10(2) के अंतर्गत संघटन शुल्क का विकल्प चुना है। यह खरीदारों को कर चालान नहीं बल्कि आपूर्ति बिल जारी करेगा।

इनवॉइस-कम-बिल ऑफ सप्लाई [नियम 46ए]

जहाँ कोई पंजीकृत व्यक्ति कर योग्य तथा अप्राकृतिक वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों किसी अपंजीकृत व्यक्ति को प्रदान कर रहा हो, वहाँ सभी ऐसी आपूरियों के लिए एकल "इनवॉइस-कम-बिल ऑफ सप्लाई" जारी किया जा सकता है। नियम 46ए, सी.जी.एस.टी. नियमों के नियम 46, नियम 49 या नियम 54 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद लागू होगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

उक्त एकल "इनवॉइस-कम-बिल ऑफ सप्लाई" में नियम 46 या नियम 54, जहाँ प्रासंगिक हो, और नियम 49 के अंतर्गत निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे।

(iv) रसीद वाउचर [भाग 31(3)(डी) के साथ नियम 50 का पठित]

किसी पंजीकृत व्यक्ति को किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, ऐसे भुगतान की प्राप्ति को दर्शाने वाला रसीद वाउचर जारी करना होगा।

रसीद वाउचर के विवरण

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
एक क्रमागत भागवाहिक संख्या, जो 16 अक्षरों से अधिक न हो, एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में, जिसमें अक्षर, अंक या विशेष अक्षर - हाइफ़न या डैश और स्लैश और इनके किसी भी संयोजन शामिल हों, और जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हो;
प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;
वस्तुओं या सेवाओं का विवरण;
प्राप्त अग्रिम राशि;
कर दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर);
कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में वसूल किया गया कर राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर);
आपूर्ति का स्थान, साथ ही राज्य का नाम और उसका कोड, यदि आपूर्ति अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हो;
क्या कर रिवर्स चार्ज आधार पर देय है; और
आपूर्तिकर्ता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर।
प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

जहाँ अग्रिम प्राप्ति के समय कर की दर और/या आपूर्ति का प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सके

जहाँ अग्रिम राशि प्राप्त करने के समय —	
(i) कर की दर निर्धारित नहीं की जा सकती	कर **18%** की दर से अदा किया जाएगा।
(ii) आपूर्ति का प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता	इसी को **अंतरराज्यीय आपूर्ति** माना जाएगा।

(v) रिफंड वाउचर [भाग 31(3)(इ) के साथ नियम 51 का पठित]

जहाँ किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर **रसीद वाउचर** जारी किया गया हो, लेकिन बाद में कोई आपूर्ति नहीं की गई और इसके अनुरूप कोई कर चालान जारी नहीं किया गया, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने भुगतान किया था, ऐसे भुगतान के बदले **रिफंड वाउचर** जारी कर सकता है।

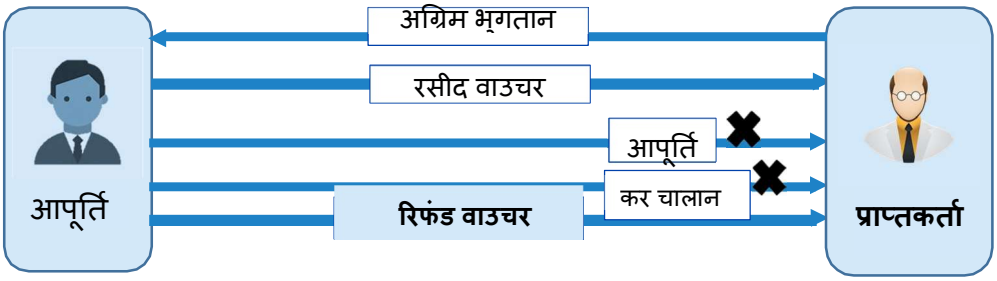

रिफंड वाउचर के विवरण

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
एक क्रमागत भागवाहिक संख्या, जो सोलह अक्षरों से अधिक न हो, एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में, जिसमें अक्षर, अंक या विशेष अक्षर - हाइफ़न या डैश और स्लैश और इनके किसी भी संयोजन शामिल हों, और जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हो;
इसके जारी होने की तारीख;
प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि पंजीकृत हो;

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

जारी किए गए रसीद वाउचर की संख्या और तारीख
उन वस्तुओं/सेवाओं का विवरण जिनके लिए रिफंड किया गया है
की गई रिफंड राशि
कर दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर)
ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में अदा किया गया कर राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर)
क्या कर रिवर्स चार्ज आधार पर देय है; और
आपूर्तिकर्ता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

(vi) चालान और भुगतान वाउचर [भाग 31(3)(एफ) और (जी) नियम 46, नियम 47ए और नियम 52 के साथ पठित]

जहाँ प्राप्तकर्ता को ऐसी वस्तुओं/सेवाओं/दोनों की आपूर्ति प्राप्त होती है, जिन्हें भाग 9(3) के तहत रिवर्स चार्ज के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया गया है, वहाँ उसे रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करना होगा। ऐसी आपूर्ति पंजीकृत या अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, एक बिल्डर/प्रमोटर को निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में भाग 9(4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज आधार पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है:

(i) एक बिल्डर/प्रमोटर को सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं का 80% पंजीकृत व्यक्तियों से खरीदना आवश्यक है। कमी की स्थिति में, उसे रिवर्स चार्ज आधार पर सभी ऐसी आंतरिक आपूरियों पर कर का भुगतान करना होगा (जितनी कमी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आंतरिक आपूरियों के 80% तक है)।

(ii) जहाँ सीमेंट किसी अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त होता है, वहाँ प्रमोटर/बिल्डर को ऐसी सीमेंट की आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करना होगा; और

(iii) अपंजीकृत व्यक्ति से खरीदे गए पूंजीगत माल पर जीएसटी का भुगतान प्रमोटर द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर किया जाएगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

यदि प्राप्तकर्ता भाग 9(3)/(4) के तहत कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उसे अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त होती है, तो जारी करने वाला चालान

एक पंजीकृत व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज के तहत **कर देने के लिए उत्तरदायी है [सी.जी.एस.टी.** अधिनियम की भाग 9(3)/9(4) के अंतर्गत**],** उसे उन वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में**,** जो उसे ऐसे **आपूर्तिकर्ता से प्राप्त हुई हैं जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख पर पंजीकृत नहीं है,** नियत समयावधि के भीतर **चालान** जारी करना होगा।

अतः यदि प्राप्तकर्ता भाग 9(3)/(4) के तहत कर देने के लिए उत्तरदायी है और अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त करता है, तो उसे चालान नियत समय के भीतर जारी करना होगा।

इसके अतिरिक्त, रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत आपूरियों के लिए कर चालान जारी करने की समय सीमा नियम 47 ए में निर्धारित की गई है।

नियम 47 क यह प्रावधान करता है कि जहाँ नियम 46 में उल्लिखित चालान, भाग 3(3) के खंड (f) के अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है, जो भाग 9(3) / 9(4) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वहाँ वह पंजीकृत व्यक्ति संबंधित वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त चालान जारी करेगा, जैसा कि मामला हो।

उक्त आपूर्ति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर चालान जारी किया जाना चाहिए।

अतः, चालान उक्त वस्तुओं और/या सेवाओं की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रासंगिक हो।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

यदि प्राप्तकर्ता भाग 9(3)/(4) के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है, तो भुगतान करते समय भुगतान वाउचर जारी करना होगा।

इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है [सी.जी.एस.टी. अधिनियम की भाग 9(3)/9(4) के अंतर्गत], वह आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय भुगतान **वाउचर जारी** करेगा।

भुगतान वाउचर के विवरण

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन, यदि पंजीकृत हो;
एक क्रमागत भागवाहिक संख्या, जो 16 अक्षरों से अधिक न हो, एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में, जिसमें अक्षर, अंक या विशेष अक्षर - हाइफ़न या डैश और स्लैश और इनके किसी भी संयोजन शामिल हों, और जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हो;
इसके जारी होने की तारीख;
प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
वस्तुओं या सेवाओं का विवरण;
भुगतान की गई राशि;
कर दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर);
कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में देय कर राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर);
आपूर्ति का स्थान, साथ ही राज्य का नाम और उसका कोड, यदि आपूर्ति अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हो; और
आपूर्तिकर्ता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(vii) कर चालान के अलावा कोई अन्य दस्तावेज जारी करने की अनुमति प्राप्त आपूर्तिकर्ता [भाग 31(2) एवं भाग 31(1) की उपभाग के साथ नियम 54 और 55 के सन्दर्भ में]

संसद की सिफारिशों पर सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन, उन सेवा वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में–

(क) किसी अन्य दस्तावेज को कर चालान के रूप में जारी किया गया हो; या

(ख) कर चालान जारी नहीं किया जा सकता।

निम्नलिखित आपूर्तिकर्ता कर चालान जारी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी अन्य दस्तावेज को कर चालान के स्थान पर किसी भी नाम से जारी करने की भी अनुमति है:

कर योग्य सेवा का प्रदाता	कर चालान के स्थान पर दस्तावेज	
	वैकल्पिक जानकारी	अनिवार्य जानकारी
बीमाकर्ता/बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्था, एनबीएफसी सहित	❑ क्रमांक (बैंक/बीमा कंपनी के लिए चालान/दस्तावेजों को क्रमवार अंकित करना अनिवार्य नहीं है)। ❑ कर योग्य सेवा के प्राप्तकर्ता का पता।.	अन्य जानकारी (क्रमांक और प्राप्तकर्ता के पते के अतिरिक्त) जो नियम 46 के अंतर्गत कर चालान के लिए निर्धारित की गई है। किसी कर अवधि में ग्राहक बैंक/बीमाकर्ता से अनेक सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। ऐसे संगठन समेकित कर चालान/ विवरण/ परामर्श या किसी अन्य दस्तावेज़ को, जिसे भी किसी भी नाम से कहा जाए, जारी कर सकते हैं/उपलब्ध करा सकते हैं।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

		भौतिक रूप से/इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उस माह में की गई सेवा की आपूर्ति के लिए माह के अंत में। हालाँकि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार समेकित कर चालान या उसके स्थान पर किसी अन्य दस्तावेज़ के जारी करने के मामले में आपूर्तिकर्ता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।
माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) माल परिवहन वाहन में सड़क द्वारा माल के परिवहन से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना		माल की खेप का सकल वजन प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम वह वाहन का पंजीकरण नंबर जिसमें माल का परिवहन किया गया हो परिवहित माल का विवरण उत्पत्ति और गंतव्य स्थान का विवरण कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का जीएसटीआईएन कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का जीएसटीआईएन

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

		चाहे प्रेषक, प्राप्तकर्ता या जीटीए रूप में हो
		अन्य जानकारी जो नियम 46 अंतर्गत कर चालान के लि निर्धारित की गई है
यात्रा सेवा आपूर्तिकर्ता	❑ क्रमांक ❑ कर योग्य सेवा के प्राप्तकर्ता का पता	कर चालान में किसी भी रूप टिकट शामिल होगा, जिसे किसी भी नाम से कहा जाए।
		अन्य जानकारी (क्रमांक अं प्राप्तकर्ता के पते के अतिरिक्त) नियम 46 के अंतर्गत कर चाल के लिए निर्धारित की गई है। हालाँकि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों अनुसार टिकट जारी करने मामले में आपूर्तिकर्ता/उस अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीकृत व्यक्ति जो बहु-स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में सिनेमा फिल्में प्रदर्शित करने के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करता है	सेवा प्राप्तकर्ता का विवरण	आपूर्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करना आवश्यक है और उक्त इलेक्ट्रॉनिक टिकट को कर चाल माना जाएगा।
		अन्य जानकारी (सेवा प्राप्तकर्ता विवरण के अतिरिक्त) जो निय 46 के अंतर्गत कर चालान के लि निर्धारित की गई है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

		हालाँकि, बहु-स्क्रीन वाले सिनेमाघरों के अलावा किसी अन्य स्क्रीन में ऐसी सेवा का आपूर्तिकर्ता अपनी इच्छा अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकता है।

यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग, बीमा और यात्री परिवहन क्षेत्रों में लेन-देन की बड़ी संख्या को देखते हुए, करदाताओं को अपने चालानों में ग्राहक का पता और क्रमांक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

डिलीवरी चालान

नियम 55 उन मामलों को निर्दिष्ट करता है जहाँ माल के परिवहन के समय माल को डिलीवरी चालान पर भेजा जा सकता है और चालान डिलीवरी के बाद जारी किया जा सकता है। ये निम्नलिखित तालिका में प्रदत्त हैं:

आपूर्ति[19] का स्वरूप	जारी किया जाने वाला डिलीवरी चालान	डिलीवरी चालान के विवरण
(1) तरल गैस की आपूर्ति, जहाँ आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय स्थल से उठाने के समय मात्रा ज्ञात न हो **(2)** आपूर्ति के रूप में नहीं, अन्य कारणों से माल का परिवहन, या	• क्रमांकित, जिसकी संख्या 16 अक्षरों से अधिक न हो • एक या अनेक श्रृंखलाओं में • माल के परिवहन के लिए उठाने के समय	डिलीवरी चालान की तिथि और संख्या
		पंजीकृत होने पर प्रेषक का नाम, पता और जीएसटीआईएन
		पंजीकृत होने पर प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन
		एचएसएन कोड और माल का विवरण
		मात्रा (अंतरिम, जहाँ आपूर्ति की सटीक मात्रा ज्ञात न हो)

[19] यह ध्यान देने योग्य है कि जॉब वर्क के लिए माल के परिवहन के मामले में भी डिलीवरी चालान जारी किया जाना चाहिए। जॉब वर्क से संबंधित प्रावधानों पर अंतिम स्तर पर चर्चा की जाएगी।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(3) ऐसी अन्य आपूर्ति जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं		कर योग्य मूल्य
		कर दर और कर राशि - केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या सेस, जब परिवहन प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए किया जा रहा हो।
		आपूर्ति का स्थान, अंतराज्यीय लेन-देन के मामले में
		हस्ताक्षर

(अ) डिलीवरी चालान त्रिपुटी में

माल की आपूर्ति के मामले में डिलीवरी चालान को त्रिपुटी में निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए:

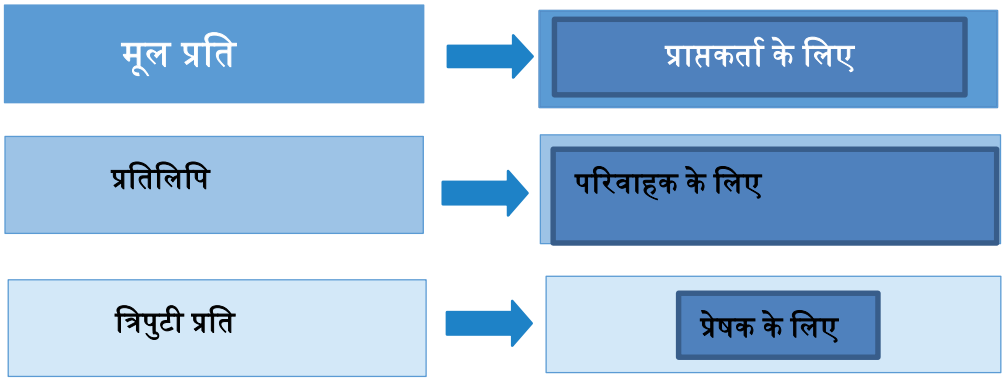

(क) ई-वे बिल में घोषणा

जहाँ माल चालान के स्थान पर डिलीवरी चालान पर परिवहित किया जा रहा हो, उसे ई-वे बिल में घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) माल की डिलीवरी के बाद कर चालान जारी करना

जहाँ परिवहित किया जा रहा माल प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के उद्देश्य से हो, लेकिन आपूर्ति के उद्देश्य से माल उठाने के समय कर चालान जारी नहीं किया जा सका हो, वहाँ आपूर्तिकर्ता माल की डिलीवरी के बाद कर चालान जारी करेगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ग) एसकेडी/सीकेडी स्थिति में या बैचों/लॉट्स में परिवहित माल

जहाँ माल अर्द्ध नॉक्ड-डाउन (एसकेडी) या पूर्ण नॉक्ड-डाउन (सीकेडी) स्थिति में या बैचों/लॉट्स में परिवहित किया जा रहा हो,

(क) आपूर्तिकर्ता को पहली खेप भेजने से पहले पूर्ण चालान जारी करना होगा;

(ख) आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक आगामी खेप के लिए चालान का संदर्भ देते हुए डिलीवरी चालान जारी करना होगा;

(ग) संबंधित डिलीवरी चालान की प्रतियाँ प्रत्येक खेप के साथ चालान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न की जाएँगी; और

(घ) चालान की मूल प्रति अंतिम खेप के साथ भेजी जाएगी।

माल को अनुमोदन के आधार पर आपूर्ति के लिए राज्य के भीतर/पंजीकरण राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है और कलाकारों द्वारा कलाकृतियाँ प्रदर्शनी के लिए गैलरी में डिलीवरी चालान के साथ, जहाँ लागू हो, ई-वे बिल सहित भेजी जा सकती हैं।

गहनों आदि के आपूर्तिकर्ता, जो किसी एक राज्य में पंजीकृत हैं, अन्य राज्यों (अपने पंजीकरण राज्य के अलावा) का दौरा कर सकते हैं और अनुमोदन के लिए माल (जैसे गहने) साथ ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामलों में, यदि खरीदार द्वारा गहनों आदि को अनुमोदित किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता केवल आपूर्ति के समय कर चालान जारी करता है।

चूँकि आपूर्तिकर्ता अपनी वास्तविक आपूर्ति पहले से निर्धारित नहीं कर पाते और अग्रिम में कर देयता का निर्धारण करना आकस्मिक करदात के रूप में पंजीकरण के लिए अनिवार्य है, इसलिए आपूर्तिकर्ता आकस्मिक करदात के रूप में पंजीकरण नहीं कर पाता। ऐसी वस्तुओं को आपूर्ति के उद्देश्यों के लिए उसी राज्य के भीतर भी ले जाया जाता है।

नियम 55 के संबंधित प्रावधानों के दृष्टिगत, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदन के आधार पर आपूर्ति के लिए लिया गया माल पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय स्थल से राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान या राज्य के बाहर किसी स्थान पर डिलीवरी चालान के साथ, जहाँ लागू हो, ई-वे बिल सहित ले जाया जा सकता है और चालान माल की डिलीवरी के समय जारी किया जा सकता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इस उद्देश्य के लिए, ऐसा माल ले जाने वाला व्यक्ति चालान पुस्तिका अपने साथ ले जा सकता है ताकि वह आपूर्ति पूरी होने के बाद चालान जारी कर सके [परिपत्र क्रमांक 10/10/2017 जीएसटी दिनांक 18.10.2017]।

इसी प्रकार, जहाँ कलाकार विभिन्न राज्यों में कला-कृतियों की आपूर्ति करते हैं–अपने पंजीकृत राज्य के अलावा–और यदि कला-कृति खरीदार द्वारा चुनी जाती है, तो आपूर्तिकर्ता केवल आपूर्ति के समय कर चालान जारी करता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदन के आधार पर आपूर्ति के लिए कला-कृति को पंजीकृत व्यक्ति (कलाकार) के व्यवसाय स्थल से राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान या राज्य के बाहर किसी स्थान पर डिलीवरी चालान के साथ, जहाँ लागू हो, ई-वे बिल सहित ले जाया जा सकता है और चालान कला-कृति की वास्तविक आपूर्ति के समय जारी किया जा सकता है [परिपत्र क्रमांक 22/22/2017 जीएसटी दिनांक 21.12.2017]।

4. क्रेडिट और डेबिट नोट [भाग 34]

वैधानिक प्रावधान

भाग *34*	क्रेडिट और डेबिट नोट्स
उप-भाग	विवरण
(1)	जहाँ किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर चालान जारी किए गए हों और उस कर चालान में दर्शाया गया कर योग्य मूल्य या कर उस आपूर्ति के संबंध में देय कर से अधिक पाया जाए, या जहाँ आपूर्ति किया गया माल प्राप्तकर्ता द्वारा वापस किया गया हो, या जहाँ आपूर्ति की गई माल या सेवा या दोनों में कमी पाई जाए, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति, जिसने उक्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए एक या अधिक क्रेडिट नोट्स जारी कर सकता है, जिनमें नियमानुसार निर्धारित विवरण शामिल होंगे।
(2)	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जो किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट नोट जारी करता है, उस क्रेडिट नोट का विवरण उस माह के रिटर्न में घोषित करेगा, जिसमें वह क्रेडिट नोट जारी किया गया हो, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात अगले *30* नवम्बर तक या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक,

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

	जो भी पहले हो, और कर देयता को नियमानुसार समायोजित किया जाएगा। शर्त यह है कि आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में कोई कमी की अनुमति नहीं होगी, यदि ऐसी आपूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया हो।
(3)	जहाँ किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर चालान जारी किए गए हों और उस कर चालान में दर्शाया गया कर योग्य मूल्य या कर उस आपूर्ति के संबंध में देय कर से कम पाया जाए, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति, जिसने उक्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए एक या अधिक डेबिट नोट्स जारी करेगा, जिनमें नियमानुसार निर्धारित विवरण शामिल होंगे।
(4)	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जो किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में डेबिट नोट जारी करता है, उस डेबिट नोट का विवरण उस माह के रिटर्न में घोषित करेगा, जिसमें वह डेबिट नोट जारी किया गया हो, और कर देयता को नियमानुसार समायोजित किया जाएगा।
	व्याख्या—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "डेबिट नोट" शब्द में एक पूरक चालान शामिल होगा।

विश्लेषण

(i) क्रेडिट नोट जारी करना: व्यापार या वाणिज्य के दौरान, चालान जारी होने के पश्चात, निम्नलिखित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:

- आपूर्तिकर्ता ने गलती से उस माल या सेवा के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य घोषित किया है।
- आपूर्तिकर्ता ने गलती से उस माल या सेवा या दोनों के लिए लागू कर दर से अधिक कर दर घोषित की है।
- प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त मात्रा कर चालान में घोषित मात्रा से कम है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- आपूर्ति किए गए माल या सेवा या दोनों की गुणवत्ता प्राप्तकर्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं है, जिससे चालान मूल्य पर आंशिक या पूर्ण प्रतिपूर्ति आवश्यक हो जाती है।
- अन्य समान कारण।

इन प्रकार की परिस्थितियों को नियमित करने के लिए, आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता को **क्रेडिट नोट** नामक दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति है। एक बार क्रेडिट नोट जारी होने के बाद, आपूर्तिकर्ता की कर देयता कम हो जाएगी।

क्रेडिट नोट एक सुविधाजनक और कानूनी तरीका है जिसके माध्यम से मूल कर चालान में माल या सेवाओं का मूल्य संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। क्रेडिट नोट जारी करने से आपूर्तिकर्ता अपने रिटर्न में कर देयता को आसानी से कम कर सकता है, बिना किसी जटिल धनवापसी प्रक्रिया को अपनाए।

भाग 34(1) यह प्रावधान करती है कि जहाँ किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर चालान जारी किए गए हों और उस/उन कर चालान में दर्शाया गया कर योग्य मूल्य या कर उस आपूर्ति के संबंध में देय कर से अधिक पाया जाए, या जहाँ आपूर्ति किया गया माल प्राप्तकर्ता द्वारा वापस किया गया हो, या जहाँ आपूर्ति की गई माल या सेवा या दोनों में कमी पाई जाए, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति, जिसने उक्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए एक या अधिक क्रेडिट नोट्स जारी कर सकता है, जिनमें नियमानुसार निर्धारित विवरण शामिल होंगे।

द्वितीयक छूट

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रेडिट नोट जारी करने की अनुमति तब नहीं है जब आपूर्तिकर्ता द्वारा द्वितीयक छूट[20] दी गई हो, क्योंकि ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता की कर देयता कम नहीं होती। हालाँकि, आपूर्तिकर्ता वित्तीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट जारी करके प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता को देय आपूर्ति के मूल्य को कम कर सकता है [परिपत्र 92/11/2019 जीएसटी दिनांक 07.03.2019]।

---

[20] द्वितीयक छूट वह छूट है जो आपूर्ति के समय ज्ञात नहीं होती या आपूर्ति पूर्ण होने के बाद दी जाती है। ऐसी छूट आपूर्ति के मूल्य से वंचित नहीं की जाती क्योंकि भाग *15(3)(*ख) में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं। भाग *15* के प्रावधानों पर इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल-*1,* अध्याय *7* - आपूर्ति का मूल्य में विस्तार से चर्चा की गई है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ii) डेबिट नोट जारी करना: ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब चालान जारी होने के बाद:

- ❑ आपूर्तिकर्ता ने गलती से उस माल या सेवा या दोनों के वास्तविक मूल्य से कम मूल्य घोषित किया है।
- ❑ आपूर्तिकर्ता ने गलती से उस माल या सेवा या दोनों के लिए लागू कर दर से कम कर दर घोषित की है।
- ❑ प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त मात्रा कर चालान में घोषित मात्रा से अधिक है।
- ❑ अन्य समान कारण।

इन प्रकार की परिस्थितियों को नियमित करने के लिए, आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता को **डेबिट नोट** नामक दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति है।

भाग 34(3) यह प्रावधान करती है कि जहाँ किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर चालान जारी किए गए हों और उस कर चालान में दर्शाया गया कर योग्य मूल्य या कर उस आपूर्ति के संबंध में देय कर से कम पाया जाए, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति, जिसने उक्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए एक या अधिक डेबिट नोट्स जारी करेगा, जिनमें नियमानुसार निर्धारित विवरण शामिल होंगे।

> **डेबिट नोट** में पूरक चालान शामिल होगा।

डेबिट नोट/पूरक चालान जारी करने से अतिरिक्त कर देयता उत्पन्न होती है। डेबिट नोट/पूरक चालान का रिटर्न और भुगतान के संदर्भ में कर चालान के समान ही व्यवहार किया जाता है।

डेबिट नोट/पूरक चालान एक सुविधाजनक और कानूनी तरीका है जिसके माध्यम से मूल कर चालान में माल और/या सेवाओं का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। डेबिट नोट जारी करने से आपूर्तिकर्ता अपने बढ़े हुए कर देयता का भुगतान अपने रिटर्न में आसानी से कर सकता है, बिना किसी अन्य जटिल प्रक्रिया को अपनाए।

(iii) डेबिट नोट/क्रेडिट नोट का विवरण रिटर्न में घोषित किया जाना

I. क्रेडिट नोट:

कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जो किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट नोट जारी करता है, उस क्रेडिट नोट का विवरण उस माह के रिटर्न में घोषित करेगा, जिसमें वह क्रेडिट नोट जारी किया गया हो, लेकिन निम्नलिखित समयसीमा से पहले:

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(i) उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात अगले 30 नवम्बर तक, जिसमें वह आपूर्ति की गई थी,

या

(ii) संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो।

कर देयता को नियमानुसार समायोजित किया जाएगा। हालाँकि, आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में कोई कमी की अनुमति नहीं होगी, यदि ऐसी आपूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया हो।

II. डेबिट नोट:

कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जो किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में डेबिट नोट जारी करता है, उस डेबिट नोट का विवरण उस माह के रिटर्न में घोषित करेगा, जिसमें वह डेबिट नोट जारी किया गया हो। कर देयता को नियमानुसार समायोजित किया जाएगा।

III. डेबिट और क्रेडिट नोट्स के विवरण [नियम 53(1ए)]

कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, लेकिन आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट नोट में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए, अर्थात्:-

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन।
दस्तावेज़ का प्रकार।
एक क्रमिक क्रमांक, जो 16 अक्षरों से अधिक न हो, एक या अनेक श्रृंखलाओं में, जिसमें अक्षर, अंक या विशेष वर्ण (हाइफन, डैश और स्लैश) या इनका कोई भी संयोजन शामिल हो, और वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हो।
दस्तावेज़ जारी करने की तिथि।
पंजीकृत होने पर प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन।
यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है, तो प्राप्तकर्ता का नाम और पता तथा डिलीवरी का पता, साथ ही राज्य का नाम और उसका कोड।
संबंधित कर चालान या, जहाँ प्रासंगिक हो, आपूर्ति बिल की क्रमांक(संख्या) और तिथि(तिथियाँ)।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

माल या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, कर दर और कर की राशि, जो प्राप्तकर्ता को क्रेडिट या, जहाँ प्रासंगिक हो, डेबिट की गई हो।
आपूर्तिकर्ता/उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर।

उदाहरण 3

कार्तिक एंड कंपनी, जीएसटी के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, ने मार्च माह के दौरान जारी किए गए विभिन्न कर चालानों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

(i) *चालान क्रमांक* 1 *में आपूर्ति का मूल्य* 2,50,000 *दर्शाया गया था, जबकि वास्तविक कर योग्य मूल्य* 2,30,000 *था।*

(ii) *चालान क्रमांक* 4 *में कर राशि* 32,000 *दर्शाई गई थी, जबकि वास्तविक कर देयता* 68,000 *थी, क्योंकि चालान जारी करते समय गलत एचएसएन कोड चुना गया था।*

(iii) *चालान क्रमांक* 8 *में आपूर्ति का मूल्य* 3,20,000 *दर्शाया गया था, जबकि वास्तविक मूल्य* 4,20,000 *था, क्योंकि बिलिंग के समय गलत मात्रा को माना गया।.*

कार्तिक एंड कंपनी आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहता है:

(1) उपरोक्त प्रत्येक परिस्थिति में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 *के अंतर्गत डेबिट/क्रेडिट नोट किसके द्वारा जारी किया जाएगा ?*

(2) उपरोक्त प्रत्येक परिस्थिति में डेबिट नोट जारी किया जाएगा या क्रेडिट नोट ?

(3) जीएसटी रिटर्न में क्रेडिट नोट घोषित करने की अधिकतम समय सीमा क्या है*?*

उत्तर:

(1) डेबिट/क्रेडिट नोट उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा जिसने वस्तुएँ और/या सेवाएँ आपूर्ति की हैं, अर्थात् उपरोक्त सभी मामलों में कार्तिक एंड कंपनी द्वारा।.

(2) हाँ, प्रत्येक परिस्थिति में निम्नानुसार डेबिट/क्रेडिट नोट जारी करना आवश्यक है:

(i) क्रेडिट नोट जारी करना आवश्यक है क्योंकि चालान संख्या 1 में कर योग्य मूल्य वास्तविक कर योग्य मूल्य से अधिक है।

(ii) डेबिट नोट जारी करना आवश्यक है क्योंकि चालान संख्या 4 में लगाया गया कर वास्तविक देय कर से कम है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(iii) डेबिट नोट जारी करना आवश्यक है क्योंकि चालान संख्या 8 में आपूर्ति का मूल्य वास्तविक मूल्य से कम है।

(3) क्रेडिट नोट का विवरण उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद **30 नवंबर** से अधिक देर तक घोषित नहीं किया जा सकता, जिसमें ऐसी आपूर्ति की गई थी, या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो।.

5. कर के अनधिकृत संग्रह पर प्रतिबंध [भाग 32]

जो व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर के रूप में कोई राशि वसूल नहीं कर सकता।

कोई भी पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही कर वसूल सकता है।

example

(9) रुजुता ग्रूमिंग सेवाएँ प्रदान करने में संलग्न है। वह जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत नहीं है क्योंकि उसका कारोबार सीमित सीमा से कम है। रुजुता अपने द्वारा प्रदान की गई ग्रूमिंग सेवाओं पर कर वसूल नहीं कर सकती क्योंकि जीएसटी कानून के तहत कोई भी गैर-पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर के रूप में कोई राशि वसूल नहीं कर सकता।

6. कर चालान और अन्य दस्तावेज़ों में कर की राशि का उल्लेख [भाग 33]

इस अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, जहाँ किसी आपूर्ति के बदले में मूल्य प्राप्त होता है, ऐसी आपूर्ति के लिए कर देय प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यांकन, कर चालान और अन्य समान दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उस कर की राशि दिखानी होगी, जो उस आपूर्ति के मूल्य का हिस्सा होगी।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

आइए पुनरावलोकन करें।

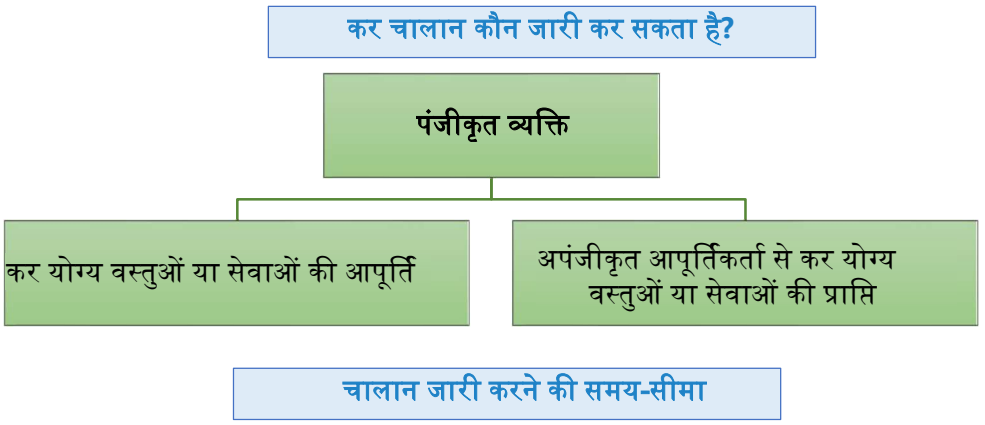

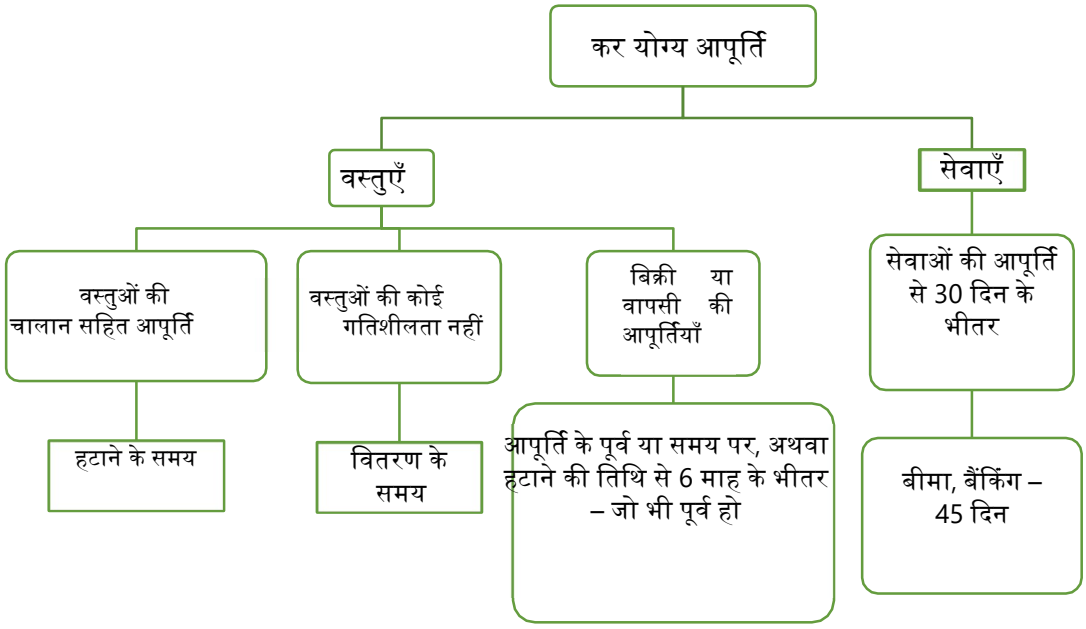

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

लगातार वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में	• प्रत्येक क्रमागत खाता विवरण जारी किए जाने या प्रत्येक क्रमागत भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व/समय पर

लगातार सेवाओं की आपूर्ति के मामले में		
	भुगतान की नियत तारीख अनुबंध से निर्धारित की जा सकती है	भुगतान की नियत तारीख को/उससे पूर्व
	इस प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता	भुगतान प्राप्ति के पूर्व/समय पर
	भुगतान किसी घटना की पूर्णता से संबंधित है	उस घटना की पूर्णता की तारीख को/उससे पूर्व

कर चालान की महत्वपूर्ण सामग्री

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता एवं जीएसटीआईएन	लगातार क्रमांक एवं जारी करने की तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम, पता एवं जीएसटीआईएन, यदि पंजीकृत हो	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता सहित वितरण पता, नाम एवं राज्य कोड, यदि पंजीकृत न हो
एचएसएन	वस्तुओं या सेवाओं का विवरण	वस्तुओं के मामले में मात्रा	आपूर्ति का कुल मूल्य
आपूर्ति का कर योग्य मूल्य	कर दर – केंद्रीय कर एवं राज्य कर अथवा समेकित कर, सेस	लगाए गए कर की राशि	आपूर्ति का स्थान
आपूर्ति के स्थान से भिन्न होने पर वितरण का पता	रिवर्स चार्ज व्यवस्था के तहत देय कर	आपूर्तिकर्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर – यदि ई-चालान आईटी एक्ट, 2000 के अनुसार जारी किया गया हो तो आवश्यक नहीं	क्यूआर कोड जिसमें आईआरएन अंतर्निहित हो – यदि ई-चालान जारी किया गया हो

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

चालान जारी करने का तरीका

वस्तुओं की आपूर्ति	सेवाओं की आपूर्ति
त्रिपुटी	**द्वितीय प्रति**
प्राप्तकर्ता के लिए मूल प्रति; वाहक के लिए द्वितीय प्रति; एवं आपूर्तिकर्ता के लिए त्रिपुटी प्रति	प्राप्तकर्ता के लिए मूल प्रति; एवं आपूर्तिकर्ता के लिए द्वितीय प्रति
महीने/तिमाही के दौरान जारी किए गए चालानों के क्रमांक फॉर्म जीएसटीआर-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।	

ई-चालान

ई-चालान अनिवार्य रूप से जारी करने वाले व्यक्तियों का वर्ग [सूचित करदाता]

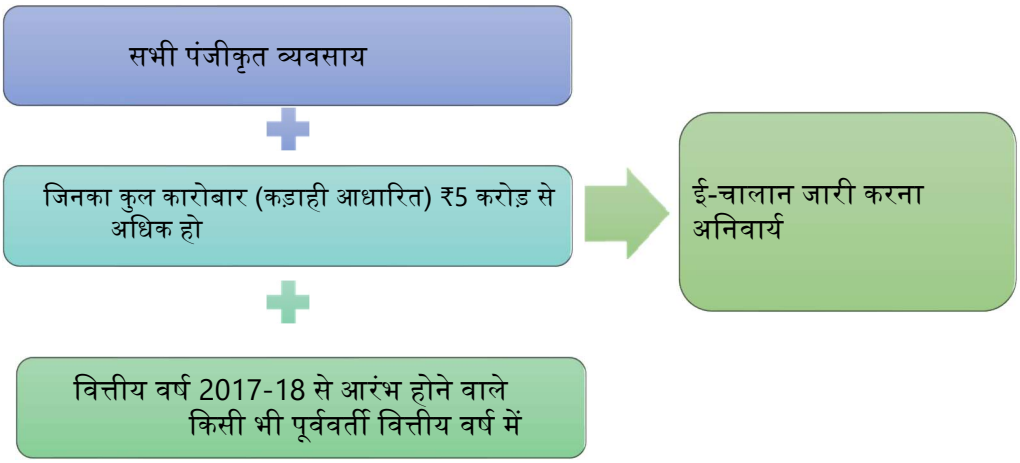

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ख) महत्वपूर्ण शब्दावली

ई-चालान प्रारूप

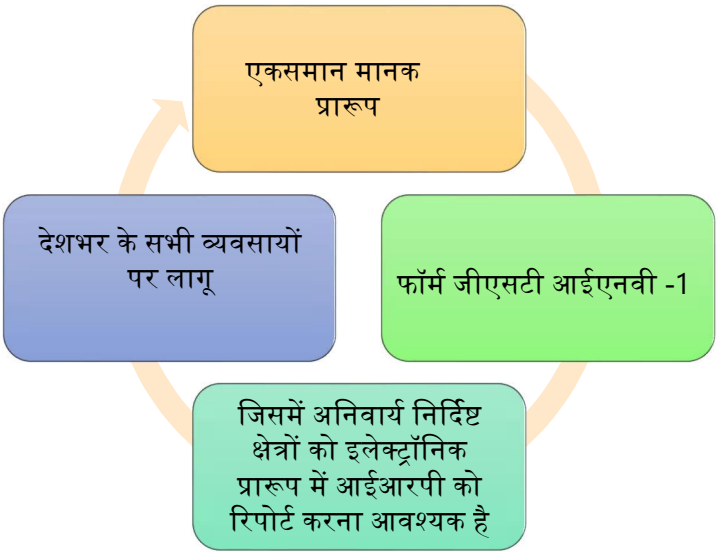

इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल [आईआरपी]

वेबसाइट
चालानों को अपलोड करने या रिपोर्ट करने के लिए
सूचित व्यक्तियों द्वारा

इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल [आईआरपी]

अद्वितीय संदर्भ संख्या

द्वारा उत्पन्न और प्रत्यावर्तित आईआरपी

ई-चालान के सफल पंजीकरण पर

केवल मान्य आईआरएन के साथ ही जीएसटी चालान वैध होगा

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ग) ई-चालान के लाभ

- चालानों का जीएसटी रिटर्न में स्वचालित रिपोर्टिंग ई-वे बिल का
- स्वचालित निर्माण
- ट्रांसक्रिप्शन त्रुटियों में पर्याप्त कमी
- पूर्व भुगतान
- लागत में कमी
- व्यवसाय की कार्यक्षमता में सुधार
- कर चोरी में कमी
- फर्जी चालानों का उन्मूलन

घ) वे परिस्थितियाँ जिनमें ई-चालान लागू होते हैं

सूचित व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति [बी2बी आपूर्तियाँ]	• लागू
सूचित व्यक्तियों द्वारा निर्यात	• लागू
सूचित व्यक्तियों द्वारा बी2सी आपूर्तियाँ	• लागू नहीं
इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी चालान सूचित व्यक्ति द्वारा की गई वे आपूर्तियाँ, जिन पर कर भाग 9(3) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है	• लागू नहीं
जहाँ सूचित व्यक्तियों द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों से निर्दिष्ट श्रेणी की आपूर्तियाँ प्राप्त	• लागू
की जाती हैं [जो भाग 9(4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज के अधीन हैं] या सेवाओं के आयात के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं	• लागू नहीं
वस्तुओं का आयात (प्रवेश बिल)	• लागू नहीं

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ङ) चालान प्रतियों को त्रिलिपि/प्रतिलिपि में जारी करने की आवश्यकता नहीं

जहाँ ई-चालान लागू होता है	→	चालान प्रतियों को त्रिलिपि/प्रतिलिपि में जारी करने की आवश्यकता नहीं

(च) -चालान से छूट

- विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयाँ
- बीमाकर्ता/बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्था जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल है
- सामान परिवहन व्यवसायी द्वारा वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवाएँ, जो मालवाहक वाहन में सड़क मार्ग से प्रदान की जाती हैं
- यात्री परिवहन सेवा का प्रदाता
- व्यक्ति जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के रूप में सेवाएँ प्रदान करता है
- सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकरण

(छ) ई-चालान का समग्र कार्यप्रवाह

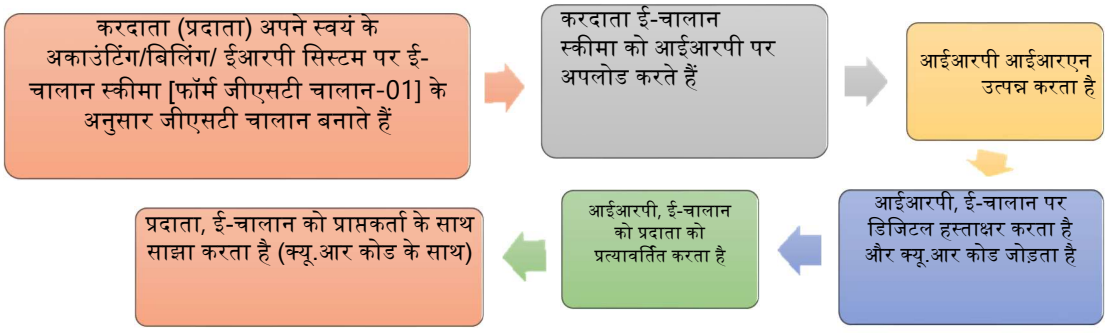

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ज) ई-चालान डेटा के माध्यम से ई-वे बिल का निर्माण/ जीएसटी रिटर्न के संबंधित भागों का पूरक विवरण

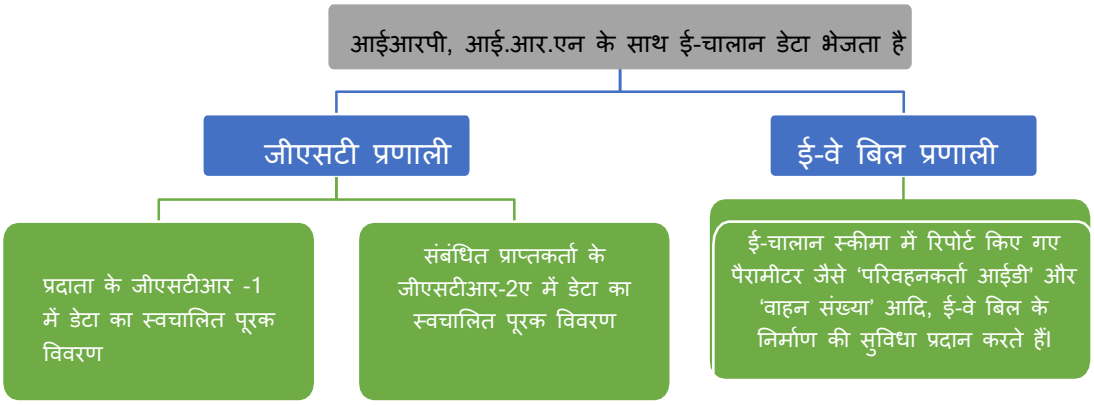

(झ) रिपोर्ट किए गए चालान की रद्दीकरण

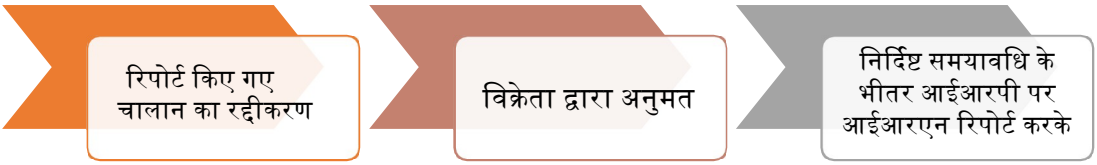

(ञ) रिपोर्ट किए गए चालान में संशोधन

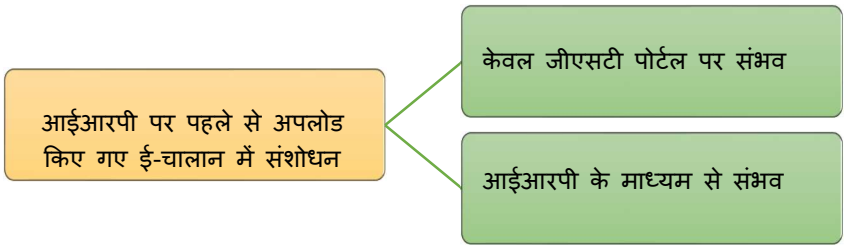

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

संशोधित कर चालान

इस अवधि के दौरान की गई कर योग्य आपूर्तियों के संबंध में संशोधित कर चालान जारी किए जाने हैं

- **पंजीकरण की प्रभावी तिथि**
- **पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि**

इस अवधि के दौरान अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को की गई कर योग्य आपूर्तियों के संबंध में समेकित संशोधित कर चालान (सीआरटीआई) जारी किया जा सकता है

अंतर-राज्य आपूर्तियों के मामले में, जहाँ किसी आपूर्ति का मूल्य ` 2,50,000 को पार नहीं करता, उस राज्य में स्थित सभी अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में सीआरटीआई अलग-अलग जारी किया जा सकता है

समेकित कर चालान

कर चालान जारी करने की आवश्यकता नहीं है

- आपूर्ति का मूल्य < `200
- प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है
- प्राप्तकर्ता को ऐसे चालान की आवश्यकता नहीं है

ऐसी आपूर्तियों के संबंध में प्रत्येक दिन के अंत में सभी ऐसी आपूर्तियों के लिए **समेकित कर चालान** जारी किया जाएगा

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

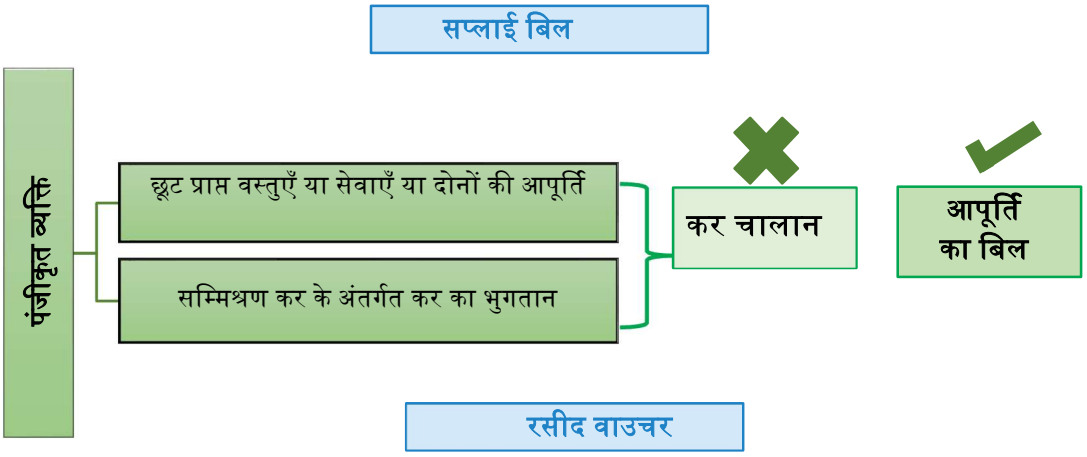

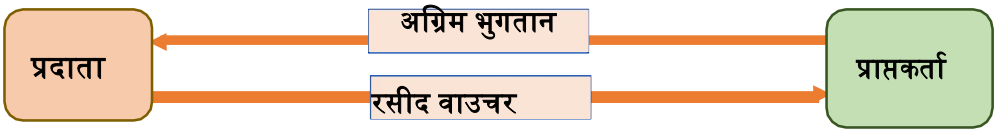

जहाँ अग्रिम प्राप्ति के समय कर की दर/ आपूर्ति का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता

जहाँ अग्रिम प्राप्ति के समय	
(i) कर की दर निर्धारित नहीं की जा सकती	कर **18%** की दर से चुकाया जाएगा
(ii) आपूर्ति का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता	इसे **अंतर-राज्य आपूर्ति** माना जाएगा

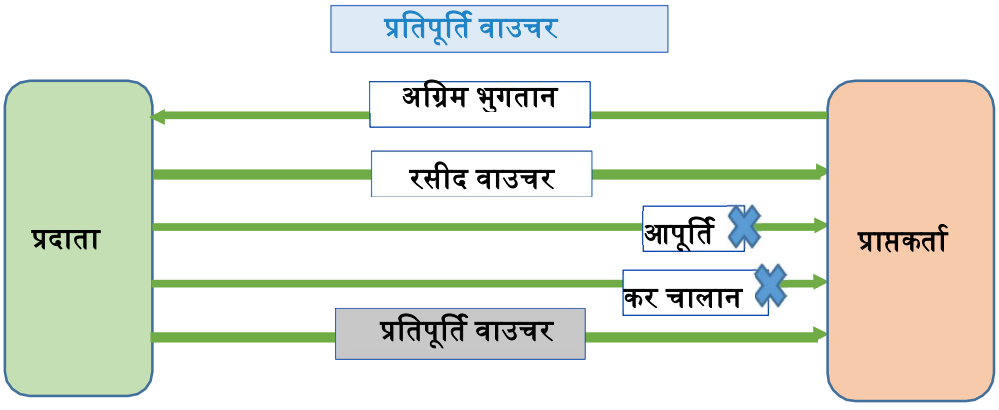

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

उलटा कराधान के तहत कर देय आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किए जाने वाले चालान और भुगतान वाउचर

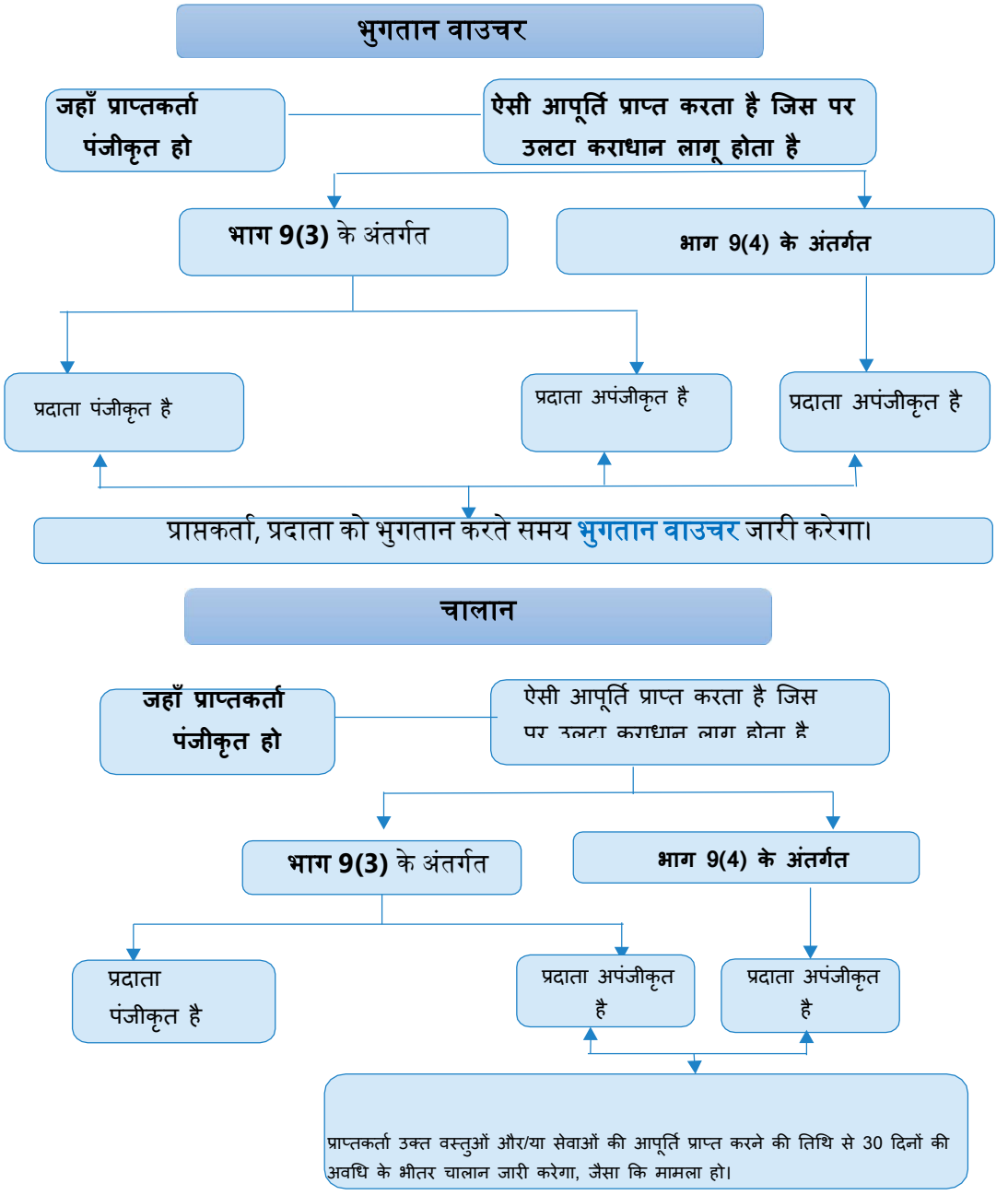

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

क्रेडिट नोट्स

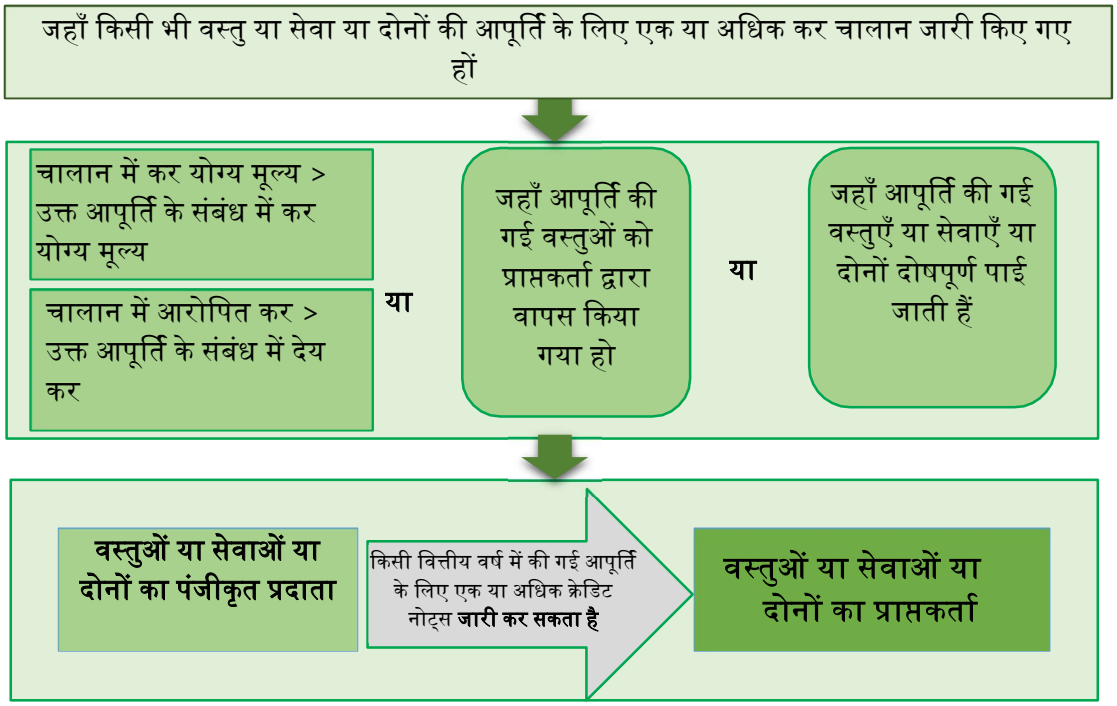

डेबिट नोट्स

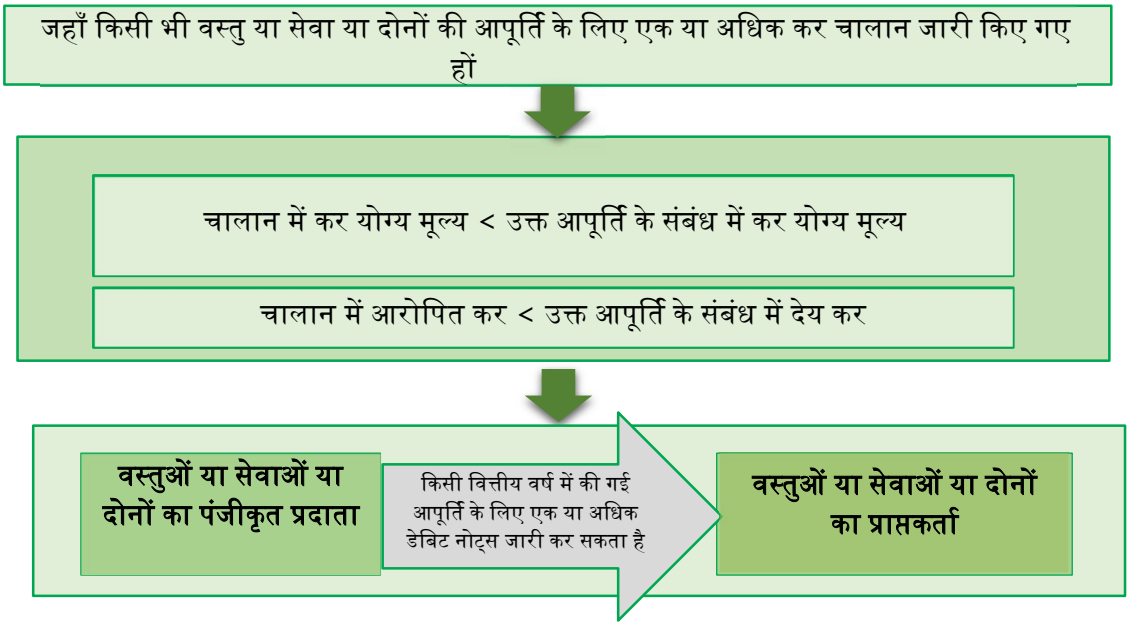

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अपना ज्ञान परखें

1. सुलतान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली ने 7 सितम्बर को प्रकाश एंटरप्रेन्योर्स, दिल्ली के साथ मशीन के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया। स्पेयर पार्ट्स 30 सितम्बर को सुपुर्द किए जाने थे। सुलतान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 29 सितम्बर को अपने कारखाने से तैयार स्पेयर पार्ट्स निकालकर प्रकाश एंटरप्रेन्योर्स को आपूर्ति के लिए भेज दिए। जीएसटी कानून के अंतर्गत सुलतान इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कर चालान किस तिथि तक जारी करना होगा, निर्धारित करें।

2. एमबीएम केयरटेकर्स, एक पंजीकृत व्यक्ति, विद्युत उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करता है। 1 अप्रैल को उसने अपने एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन के लिए पी के साथ वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, रखरखाव सेवाएँ संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के पहले दिन प्रदान की जाएँगी और इसके लिए भुगतान भी उसी तिथि पर देय होगा जिस दिन सेवा प्रदान की जाएगी। वर्ष के दौरान, उसने अनुबंध की शर्तों के अनुसार 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को सेवाएँ प्रदान की। प्रदान की गई सेवाओं के लिए एमबीएम केयरटेकर्स को चालान किस तिथि को जारी करना चाहिए ?

3. सांगरी सर्विसेज़ लिमिटेड, दिल्ली का समग्र कारोबार 12 अगस्त को ₹ 20 लाख से अधिक हो गया। उसने 3 सितंबर को पंजीकरण के लिए आवेदन किया और 6 सितंबर को उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। आपको सांगरी सर्विसेज़ लिमिटेड को यह परामर्श देना है कि उसके मामले में पंजीकरण की प्रभावी तिथि क्या होगी। उसने आपसे संशोधित कर चालान जारी करने की अवधि के संबंध में भी परामर्श मांगा है।

4. श्याम फैब्रिक्स ने चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिश्रण कर योजना को अपनाया है। उसने आपसे परामर्श लिया है कि क्या उसके लिए कर चालान जारी करना अनिवार्य है। आपको उसे इस संबंध में परामर्श देना है।

5. रॉयल फैशन्स, दिल्ली में डिज़ाइनर आउटफिट्स का पंजीकृत प्रदाता, ने 4$^{वां}$ जनवरी को होटल पार्क रॉयल, दिल्ली में आयोजित होने वाले फैशन शो में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर, उसने अपने मॉडल्स का मेकओवर कराने के लिए 4$^{वां}$ जनवरी को आभा ब्यूटी सर्विसेज़ लिमिटेड, अशोक विहार से सेवा प्राप्त की, जिसके लिए ₹ 5,00,000 (जीएसटी को छोड़कर) का शुल्क लिया गया। आभा ब्यूटी सर्विसेज़ लिमिटेड ने 10$^{वां}$ फरवरी को सही ढंग से हस्ताक्षरित कर चालान जारी किया, जिसमें प्रदत्त सेवाओं के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी @ 9% प्रत्येक सहित कुल ₹ 5,90,000 दिखाया गया।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सेवाओं के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी @ 9% प्रत्येक सहित ₹5,90,000 की कुल राशि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(i) यह जांचें कि कर चालान कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया है या नहीं।

(ii) रॉयल फैशन्स के कर सलाहकार ने उठाए गए चालान पर आपत्ति जताई और सुझाव दिया कि कर योग्य आपूर्ति के संबंध में लगाई गई कर राशि को ऑरा ब्यूटी सर्विसेज़ लिमिटेड द्वारा जारी चालान में अलग से दर्शाया जाना चाहिए। हालांकि, ऑरा ब्यूटी सर्विसेज़ लिमिटेड ने दावा किया कि चालान में कर घटक को अलग से दिखाने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। आपको रॉयल फैशन्स के कर सलाहकार द्वारा उठाई गई आपत्ति की वैधता का परीक्षण करना है।

6. किडज़ी टॉयज़ लिमिटेड, चंडीगढ़ में पंजीकृत खिलौनों का एक थोक व्यापारी, स्थानीय बाजार में खिलौनों की विविधता और उनके उचित मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। किडज़ी टॉयज़ लिमिटेड ने 25 सितंबर को नैंसी जनरल स्टोर को 100 पीस बच्चों के लर्निंग लैपटॉप और चैट लर्निंग फोन की आपूर्ति की, जिसके लिए ₹ 1,00,000 के कर चालान जारी किए।

हालाँकि, उक्त खिलौने नैंसी जनरल स्टोर द्वारा 30 सितंबर को वापस कर दिए गए। इस प्रकार की स्थिति में किडज़ी टॉयज़ लिमिटेड को कौन सा दस्तावेज़ जारी करना आवश्यक है, इस पर चर्चा करें।

7. राणा संगा लिमिटेड, एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, ने 30 जून को समाप्त तिमाही में अपने ग्राहक बाबर को निम्नलिखित कर योग्य आपूर्ति की है।

तारीख	चालान संख्या	विवरणांश	चालान मूल्य (जीएसटी सहित) [₹]
5th अप्रैल	102	नोटबुक्स [10 संख्या में]	1,200
10th मई	197	चार्ट पेपर [4 संख्या में]	600
20th मई	230	क्रेयॉन रंग [2 पैकेट]	500
2nd जून	254	पोस्टर रंग [5 पैकेट]	900
22nd जून	304	पेंसिल बॉक्स [4 सेट]	700

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

बाबर द्वारा चालान संख्या 102, 230 और 254 से संबंधित माल वापस कर दिया गया है। आपको राणा संगा लिमिटेड को यह सलाह देनी है कि क्या वह उपर्युक्त तीनों चालानों के विरुद्ध एक समेकित क्रेडिट नोट जारी कर सकता है?

8. चिदानंद प्रोडक्ट्स प्रा. लि., एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है, जिसने वर्तमान वित्तीय वर्ष में संयोजन कर योजना को अपनाया है। वह यह जानना चाहता है कि क्या किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बिल जारी करने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है। आपको उसे इस संबंध में सलाह देनी है।

9. जब एक पंजीकृत व्यक्ति, अपंजीकृत व्यक्ति को करयोग्य तथा मुक्त दोनों प्रकार की वस्तुएँ आपूर्ति करता है, तो उसे करयोग्य और मुक्त वस्तुओं के लिए अनिवार्य रूप से पृथक चालान जारी करना होता है। उक्त कथन की वैधता की जांच करें।

10. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी उस माह के दौरान की गई आपूर्ति के लिए प्रत्येक माह के अंत में एक समेकित कर चालान जारी कर सकती है। उक्त कथन की वैधता की जांच करें।

11. साक्षी एंटरप्राइज़ेज़, कोलकाता ने सुरज एंटरप्राइज़ेज़, सूरत के साथ माल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया, जिसके अनुसार माल की डिलीवरी 31 अक्तूबर तक या उससे पहले की जानी थी। माल को साक्षी एंटरप्राइज़ेज़, कोलकाता के कारखाने से 11 अक्तूबर को सुरज एंटरप्राइज़ेज़ को आपूर्ति हेतु हटाया गया। अनुबंध के अनुसार माल की डिलीवरी 31 अक्तूबर तक या उससे पहले की जानी थी। सुरज एंटरप्राइज़ेज़ को माल 14 अक्तूबर को प्राप्त हुआ। सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करने का समय निर्धारित करें।

12. ट्रस्ट एंड फ़न लिमिटेड, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने 5 जून को कपूर फ़िल्म एजेंसिज़, मुंबई में एक कार्यक्रम के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। उस कार्यक्रम का भुगतान 19 जून को किया गया। सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करने का समय निर्धारित करें।

13. उदय सिंह, एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, ने सुजामल को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त किया है। उनके लेखाकार ने उन्हें ऐसी सेवाओं के संबंध में रसीद वाउचर जारी करने के लिए कहा है। हालांकि, उन्हें यह चिंता है कि यदि रसीद वाउचर जारी कर दिया जाए, लेकिन बाद में कोई सेवा प्रदान न की जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। आपको उदय सिंह को इस संबंध में सलाह देनी है।

14. भोज राज, एक पंजीकृत व्यक्ति, ने एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से जी.टी.ए. (गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी) सेवाएँ प्राप्त की हैं, जिन पर उन्हें रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें चालान जारी करना आवश्यक है। कृपया सीजीएसटी अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उन्हें सलाह दें।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

जवाब

1. भाग 31 के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ आपूर्ति में माल का स्थानांतरण शामिल है, वहाँ प्राप्तकर्ता को माल की आपूर्ति हेतु माल के हटाए जाने से पहले या हटाए जाने के समय चालान जारी किया जाना चाहिए। अतः, दिए गए मामले में कर चालान 29 सितंबर तक या उससे पहले जारी किया जाना आवश्यक है।

2. सतत सेवा आपूर्ति का अर्थ, अन्य बातों के साथ, ऐसी किसी सेवा की आपूर्ति से है जो किसी अनुबंध के अंतर्गत तीन माह से अधिक की अवधि के लिए निरंतर या पुनरावृत्त रूप से प्रदान की जाती है या प्रदान किए जाने के लिए सहमति की गई है, और जिसमें आवधिक भुगतान की बाध्यता होती है।

अतः, दिए गए परिस्थिति में यह सतत सेवा आपूर्ति का मामला है क्योंकि एम.बी.एम. केयरटेकर द्वारा अनुबंध के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए त्रैमासिक आधार पर मरम्मत और रखरखाव सेवाएँ प्रदान की गई हैं, और त्रैमासिक भुगतान की बाध्यता है।

भाग 31 के अनुसार, सतत सेवा आपूर्ति के मामले में, जहाँ भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से ज्ञात की जा सकती है (जैसा कि दिए गए मामले में है), चालान भुगतान की नियत तिथि तक या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए।

अतः, दिए गए मामले में, एम.बी.एम. केयरटेकर को त्रैमासिक चालान 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी तक या उससे पहले जारी करने चाहिए।

3. भाग 25 को सीजीएसटी नियमों के साथ पढ़ने पर, जहाँ कोई आवेदनकर्ता पंजीकरण के लिए आवेदन उस तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करता है, जिस दिन वह पंजीकरण के लिए दायित्वपूर्ण होता है, वहाँ पंजीकरण की प्रभावी तिथि वह तारीख होती है जिस दिन वह पंजीकरण के लिए दायित्वपूर्ण हुआ। चूँकि, सांगरी सर्विसेज़ लिमिटेड का टर्नओवर 12 अगस्त को `20 लाख से अधिक हो गया, इसलिए वह उसी दिन पंजीकरण के लिए दायित्वपूर्ण हो गया। आगे, उसने पंजीकरण के लिए उस दायित्वपूर्ण होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया, अतः पंजीकरण की प्रभावी तिथि वह दिन होगी जिस दिन वह पंजीकरण के लिए दायित्वपूर्ण हुआ, अर्थात् 12 अगस्त।

भाग 31 को सीजीएसटी नियमों के साथ पढ़ने पर, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से पहले की तारीख से पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह संशोधित कर चालान जारी कर सकता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

संशोधित कर चालान पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर जारी किए जाने चाहिए। संशोधित कर चालान उस अवधि के दौरान की गई कर योग्य आपूर्ति के संबंध में जारी किए जाने चाहिए, जो पंजीकरण की प्रभावी तिथि से लेकर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख तक होती है।

अतः, दिए गए मामले में, सांगरी सर्विसेज़ लिमिटेड को पंजीकरण की प्रभावी तिथि (12 अगस्त) से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख (6 सितंबर) तक की गई कर योग्य आपूर्ति के संबंध में संशोधित कर चालान जारी करने होंगे, और यह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर, अर्थात् 6 अक्टूबर तक या उससे पहले किया जाना चाहिए।

4. भाग 10 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति [संयोजन कर] कर चालान के स्थान पर आपूर्ति बिल जारी करेगा, जिसमें ऐसे विवरण और उस प्रकार से जानकारी होगी जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया है [भाग 31(3)(क) को सीजीएसटी नियम, 2017 के साथ पढ़ें]।

5. **(i)** भाग 31 को सीजीएसटी नियमों के साथ पढ़ने पर, कर योग्य सेवा आपूर्ति के मामले में, चालान सेवा प्रदान करने से पहले या बाद में जारी किए जा सकते हैं, लेकिन सेवा की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर [बीमाकर्ता/बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान सहित एनबीएफसी के मामले में 45 दिनों के भीतर] जारी होना आवश्यक है।

उक्त प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान मामले में कर चालान सेवा की आपूर्ति की तारीख से निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर, अर्थात् 3 फरवरी तक जारी किया जाना चाहिए था। हालाँकि, चालान 10 फरवरी को जारी किया गया है।

(ii) भाग 31 को सीजीएसटी नियमों के साथ पढ़ने पर, अन्य अनिवार्य विवरणों के अतिरिक्त कर चालान में कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में लगाई गई कर राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर) भी शामिल होनी चाहिए। आगे, जहाँ किसी आपूर्ति के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आपूर्ति पर कर देने के लिए दायित्वपूर्ण है, उसे आकलन, कर चालान और अन्य समान दस्तावेजों में प्रमुखता से उस कर योग्य वस्तु या सेवा पर लगाई गई कर राशि दर्शानी होगी, जो उस आपूर्ति की कीमत का हिस्सा होगी।

रॉयल फैशन्स के कर सलाहकार द्वारा उठाई गई आपत्ति, जिसमें सुझाव दिया गया कि ऑरा ब्यूटी सर्विसेज़ लिमिटेड द्वारा उठाए गए चालान में मेकओवर सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति के संबंध में लगाई गई कर राशि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए, कानून के अनुसार वैध है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

6. इस प्रकार की स्थिति में किडज़ी लिमिटेड को क्रेडिट नोट जारी करना आवश्यक है।

भाग 34 के अनुसार, जहाँ किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर चालान जारी किए गए हों और प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएँ वापस कर दी जाएँ, तो वह पंजीकृत व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों आपूर्ति की हैं, वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता को एक या अधिक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है, जिसमें नियमानुसार विवरण शामिल हों। अतः, किडज़ी लिमिटेड को नैंसी जनरल स्टोर को वापस किए गए माल के लिए क्रेडिट नोट जारी करना आवश्यक है।

7. जहाँ किसी वस्तु और/या सेवा की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर चालान जारी किए गए हों और

(क) यदि उस कर चालान में दर्शाई गई कर योग्य मूल्य/लागू कर उस आपूर्ति के संबंध में देय कर/कर योग्य मूल्य से अधिक पाया जाता है, या

(ख) यदि आपूर्ति की गई वस्तुएँ प्राप्तकर्ता द्वारा वापस कर दी जाती हैं,

(ग) यदि आपूर्ति की गई वस्तुएँ और/या सेवाएँ दोषपूर्ण पाई जाती हैं,

वह पंजीकृत व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुएँ और/या सेवाएँ आपूर्ति की हैं, वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता को एक या अधिक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है, जिसमें नियमानुसार विवरण शामिल हों।

अतः, एक (समेकित) या अधिक क्रेडिट नोट वित्तीय वर्ष में जारी कई चालानों के संबंध में जारी किए जा सकते हैं, बिना इन्हें व्यक्तिगत चालानों से जोड़े।

अतः, उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, राणा संगा लिमिटेड सभी तीनों चालानों के संबंध में वापस किए गए माल के लिए एक समेकित क्रेडिट नोट जारी कर सकता है।

8. हाँ। चिदानंद प्रोडक्ट्स प्रा. लि. आपूर्ति किए गए वस्तु या सेवा या दोनों का मूल्य ₹200 से कम होने पर आपूर्ति बिल जारी नहीं कर सकता, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(क) प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति न हो; और

(ख) प्राप्तकर्ता को ऐसा आपूर्ति बिल आवश्यक न हो,

और वह प्रत्येक दिन के अंत में सभी ऐसी आपूर्ति के संबंध में एक समेकित आपूर्ति बिल जारी करेगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

9. यह कथन कानून के अनुसार वैध नहीं है। सीजीएसटी नियमों के अनुसार, जब कोई पंजीकृत व्यक्ति अपंजीकृत व्यक्ति को करयोग्य तथा मुक्त वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों आपूर्ति करता है, तो सभी ऐसी आपूर्ति के लिए एकल "चालान-सह-आपूर्ति बिल" जारी किया जा सकता है।

10. उक्त कथन कानून के अनुसार वैध है। कोई ग्राहक किसी निर्दिष्ट कर अवधि में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कई सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। ऐसी कंपनी उस माह के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए माह के अंत में समेकित कर चालान/प्रस्ताव/सलाह या इसके स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज़, जिसे भी किसी नाम से कहा जाए, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी या उपलब्ध करा सकती है।

11. यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करता है, और आपूर्ति में माल का स्थानांतरण शामिल है, तो उसे प्राप्तकर्ता को माल की आपूर्ति हेतु माल के हटाए जाने से पहले या हटाए जाने के समय कर चालान जारी करना होगा।

अतः, दिए गए मामले में चालान 11 अक्टूबर तक या उससे पहले (माल के हटाए जाने के समय) जारी किया जाना आवश्यक है।

12. कोई पंजीकृत व्यक्ति [बीमाकर्ता/बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्था, सहित एनबीएफसी को छोड़कर] कर योग्य सेवाएँ प्रदान करने पर, सेवा प्रदान करने से पहले या बाद में कर चालान जारी करेगा, लेकिन सेवा की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर जारी करना आवश्यक है।

अतः, दिए गए मामले में चालान 5 जून (सेवा की आपूर्ति की तारीख) से 30 दिनों के भीतर, अर्थात् 5 जुलाई तक या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए।

13. उदय सिंह को सुजामल को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर रसीद वाउचर जारी करना आवश्यक है। रसीद वाउचर वह दस्तावेज़ है जो वस्तुओं और/या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए अग्रिम राशि प्राप्त होने का प्रमाण देता है। किसी भी आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, पंजीकृत व्यक्ति को ऐसी राशि की प्राप्ति का प्रमाण देते हुए रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज़ जारी करना आवश्यक है।

किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर यदि पंजीकृत व्यक्ति रसीद वाउचर जारी करता है, लेकिन बाद में कोई आपूर्ति नहीं की जाती और उसके अनुसार कर चालान भी जारी नहीं किया जाता, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने भुगतान किया था, ऐसे भुगतान के विरुद्ध रिफंड वाउचर जारी कर सकता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अतः, यदि उदय सिंह द्वारा बाद में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती और उसके अनुसार कोई कर चालान जारी नहीं किया जाता, तो उदय सिंह सुजामल को ऐसे भुगतान के विरुद्ध रिफंड वाउचर जारी कर सकता है।

14. भोज राज को अपनी द्वारा प्राप्त की गई जी.टी.ए. सेवाओं के संबंध में चालान जारी करना आवश्यक है। वह पंजीकृत व्यक्ति जो भाग 9 की उप-भाग (3) या उप-भाग (4) के अंतर्गत कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण है (यथा, जब प्राप्तकर्ता को रिवर्स चार्ज आधार पर जीएसटी चुकाना होता है), उसे निर्धारित अवधि के भीतर उस आपूर्तिकर्ता से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में चालान जारी करना आवश्यक है, जो उस समय पंजीकृत न हो जब वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त की गईं।

अतिरिक्त रूप से, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंतर्गत आपूर्ति के लिए कर चालान जारी करने की समय सीमा नियम 47ए में निर्धारित की गई है।

नियम 47ए के अनुसार, जहाँ नियम 46 में उल्लिखित चालान भाग 3(3) के उपभाग (ख) के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाना आवश्यक हो, जो भाग 9(3)/9(4) के अंतर्गत कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण हो, उसे उक्त वस्तु और/या सेवा की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उक्त चालान जारी करना होगा।

अतः, भोज राज को जी.टी.ए. सेवाओं की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर चालान जारी करना होगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

1. •क्या यह सही है कि एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से ई-चालान जारी करना होगा?
2. •जहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा ई-चालान जारी किया गया हो, वहाँ भी कर चालान की भौतिक प्रति अनिवार्य रूप से साथ रखी जानी चाहिए। क्या यह कानून के अनुसार वैध है?
3. क्या यह सही है कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य ₹200 से कम है, तो वह कर चालान जारी नहीं कर सकता?
4. •संयोजन कर के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति कौन सा दस्तावेज़ जारी करेगा?
5. •यदि अग्रिम प्राप्ति के समय कर की दर निर्धारित नहीं की जा सकती, तो कर की दर क्या होगी?
6. •यदि अग्रिम प्राप्ति के समय आपूर्ति की प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकती, तो आपूर्ति की प्रकृति क्या होगी?
7. •चालान के बिना आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से माल के परिवहन के मामले में कौन सा दस्तावेज़ जारी करना आवश्यक है?
8. • यदि चालान जारी करने के बाद प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई मात्रा चालान में घोषित मात्रा से कम हो, तो कौन सा दस्तावेज़ जारी करना आवश्यक है?

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

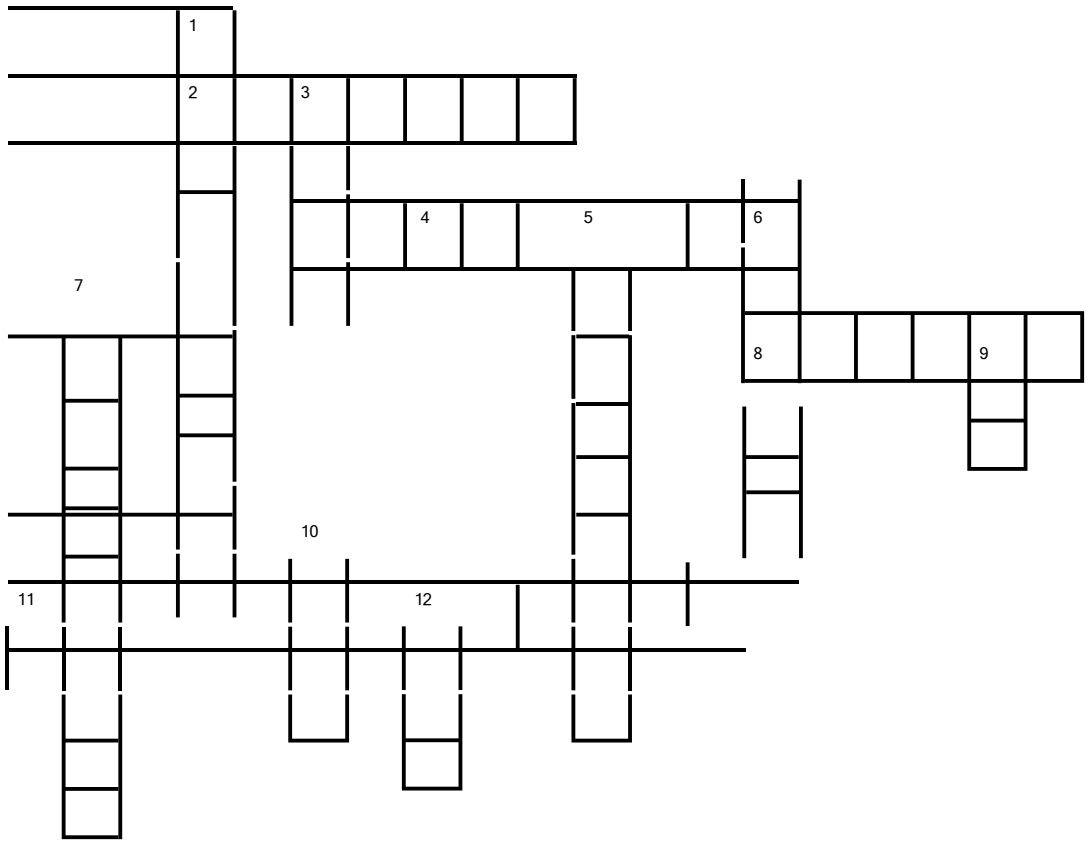

पार्श्व रूप से

2. चालान प्राप्तकर्ता को वस्तु की आपूर्ति के लिए वस्तुओं की ---------- से पहले या उसी समय जारी किया जाना चाहिए, जहाँ आपूर्ति में वस्तुओं का परिवहन शामिल हो।

4. किसी वस्तु की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, पंजीकृत व्यक्ति एक ---------- वाउचर जारी करेगा।

8. यदि किसी वस्तु की आपूर्ति के लिए कर चालान जारी किया गया है और आपूर्ति की गई वस्तुएँ कम पाई जाती हैं, तो पंजीकृत व्यक्ति --------- नोट जारी कर सकता है।

11. डायनामिक क्यूआर कोड उस चालान पर लागू नहीं होगा जो किसी ---------- व्यक्ति को बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया हो।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

नीचे की ओर

1. वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के मामले में चालान ---------- तैयार किया जाएगा।

3. यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है और आपूर्ति का मूल्य ₹50,000 या ---------- है, तो कर चालान के लिए प्राप्तकर्ता का नाम और पता तथा डिलीवरी का पता, राज्य का नाम और उसका कोड अनिवार्य है।

5. एक पंजीकृत व्यक्ति जो ---------- सेवाएँ प्रदान करता है, उसे सप्लाई बिल जारी करना आवश्यक है।.

6. यात्री परिवहन सेवा के आपूर्तिकर्ता के मामले में, कर चालान में किसी भी रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, --------- शामिल होगा।

7. ---------- परिवहन सेवा के आपूर्तिकर्ताओं को ई-चालान की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है।

9. ---------- अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा चालान अपलोड/रिपोर्ट करने के लिए वेबसाइट है। (संक्षिप्त नाम)

10. जहां बिक्री के लिए अनुमोदन पर भेजा जा रहा माल आपूर्ति होने से पहले हटा लिया जाता है, वहां चालान आपूर्ति के समय/उससे पहले या हटाने की तारीख से --- महीने के भीतर जारी किया जाएगा, जो भी पहले हो।

12. डीटीए इकाई में 4 करोड़ रुपये के कारोबार और एसईजेड इकाई में 6 करोड़ रुपये के कारोबार (दोनों का पैन एक ही है) वाली कंपनी का पिछले वर्ष में कुल कारोबार --- करोड़ रुपये है और इस प्रकार, उक्त कंपनी के लिए ई-इनवॉयसिंग लागू है।

इस अध्याय की रैपिड फायर क्विज़ और क्रॉसवर्ड पहेली के उत्तर प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

क्यूआर कोड स्कैन करें।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से किए गए संशोधन

वित्त अधिनियम, 2025, 29.03.2025 से लागू हो गया है। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत किए गए अधिकांश संशोधन केवल उस तिथि से प्रभावी होंगे जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। ऐसी कोई अधिसूचना 30.04.2025 तक जारी नहीं की गई है। अतः मई 2026, सितंबर 2026 और/या जनवरी 2027 परीक्षाओं के लिए ऐसे संशोधन की लागूता या गैर-लागू होने की सूचना आईसीएआई द्वारा घोषणा के माध्यम से दी जाएगी।

नीचे दी गई तालिका में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 34(2) के वर्तमान प्रावधानों की तुलना वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधानों से की गई है।

एक बार आईसीएआई द्वारा परीक्षा(ओं) के लिए ऐसे संशोधनों की लागूता की घोषणा कर दी जाने के बाद, छात्रों को अध्याय में चर्चा किए गए संबंधित प्रावधानों के स्थान पर यहाँ दिए गए संशोधित प्रावधानों का अध्ययन करना चाहिए।

भाग 34	मौजूदा प्रावधान	वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधान	टिप्पणियाँ
(2)	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित क्रेडिट नोट जारी करता है, उसे ऐसे क्रेडिट नोट का विवरण उस माह की रिटर्न में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह में यह क्रेडिट नोट जारी किया गया हो, परन्तु उस वित्तीय वर्ष के अंत के बाद अगले वर्ष की 30वीं नवम्बर तक, या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक, जो भी पहले हो। और कर देयता को उस	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित क्रेडिट नोट जारी करता है, उसे ऐसे क्रेडिट नोट का विवरण उस माह की रिटर्न में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह में यह क्रेडिट नोट जारी किया गया हो, परन्तु उस वित्तीय वर्ष के अंत के बाद अगले वर्ष की 30वीं नवम्बर तक, या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक, जो भी पहले हो।	भाग 34 की उप-भाग (2) के प्रावधान में संशोधन प्रस्तावित है, ताकि स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट का लाभ लिया गया हो, तो उक्त क्रेडिट नोट के संबंध में आपूर्तिकर्ता की कर देयता को कम करने के उद्देश्य से संबंधित इनपुट कर क्रेडिट की विलोपन आवश्यक होगी।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

	प्रकार समायोजित किया जाएगा जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो। शर्त यह है कि यदि ऐसी आपूर्ति पर कर और ब्याज का बोझ किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया हो, तो आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।	और कर देयता को उस प्रकार समायोजित किया जाएगा जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो। **शर्त यह है कि आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी, यदि–** *(i)* **यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति है, तो ऐसे क्रेडिट नोट से संबंधित इनपुट कर क्रेडिट, जिसे लिया गया हो, प्राप्तकर्ता द्वारा वापस नहीं किया गया हो, या** *(ii)* **अन्य मामलों में, ऐसी आपूर्ति पर कर का बोझ किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया हो।**	

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान